



सत्यमेव जयते

जयपुर

पीलीबंगा के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करने में पीलीबंगा के विशिष्ट 1/2003 & 2023

जयपुर में 1959 के अधिनियम 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया

नगर नियोजन विभाग
राजस्थान, जयपुर

पृष्ठ

पीलीबंगा के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करने में पीलीबंगा के विशिष्ट


जन-प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास के इस कार्य में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस नगर के सुनियोजित विकास के लिए प्रदान किया है।

जिला कलक्टर हनुमानगढ़, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पीलीबंगा का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय-समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्र करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जल प्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने सतत सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में अपना प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग दिया है।

अंत में, मैं सभी नागरिकों से आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस नगर को मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे।

उक्त सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं पीलीबंगा के गणमान्य नागरिक धन्यवाद के पात्र हैं।


1/1 qh
c fl g½
ofj"B uxj fu; kstd
chdkuj tku] chdkuj

योजना दल

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. श्रीमती इंदिरा चौधरी | अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम)
राजस्थान, जयपुर |
| 2 श्री सुग्रीब सिंह
बीकानेर | वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, |
| 3 श्रीमती प्रीति गुप्ता | उप नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर |
| 4 कु. अपूर्वा पाराशर | सहायक नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर |
| 5 श्री पुनीत शर्मा | सहायक नगर नियोजक, बीकानेर |
| 6 श्री गुरुदत्त शर्मा | सहायक अभियंता, बीकानेर |
| 7 श्री दलीप कुमार पूनिया | सहायक अभियंता, बीकानेर |
| 8 श्री रणवीर सिंह | सहायक अभियंता, बीकानेर |
| 9 श्री मूलेन्द्र सिंह चौहान | वरिष्ठ प्रारूपकार, बीकानेर |
| 10 कु. निकिता विजय | वरिष्ठ प्रारूपकार, मुख्यालय, जयपुर |
| 11 श्री कमल कुमार मिश्रा | कनिष्ठ प्रारूपकार, बीकानेर |
| 12 श्री मोहम्मद सरवर उस्ता | कनिष्ठ प्रारूपकार, बीकानेर |
| 13 श्री सुनिल सैनी | कनिष्ठ प्रारूपकार, मुख्यालय, जयपुर |
| 14 श्री उम्मेद सिंह राजावत | वरिष्ठ निजी सहायक, मुख्यालय, जयपुर |
| 15 श्री अर्जुन नाथ सिद्ध | निजी सहायक, बीकानेर |

fo"k; I wph

ØEl a fo"k; oLrq

i "B

I a[; k

	आभार	ii
	योजना दल	iii
	विषय सूची	iv-vii
	तालिका सूची	viii
1.	i fjp;	1-4
2.	fo eku	fo' k'skrk, a
5-23		
	2.1 भौतिक स्वरूप एवं जलवायु	
5		
	2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	
6		
	2.3	ऐतिहासिक
7		
	2.4 जन सांख्यिकी	
8		
	2.5 व्यावसायिक संरचना	
9		
	2.6 विद्यमान भू-उपयोग	
10-23		
	2.6.1 आवासीय	
12-13		
	2.6.1 (अ) आवासन	
12		
	2.6.1 (ब) कच्ची बस्तियाँ	
13		
	2.6.2 वाणिज्यिक	
13		
	2.6.3 औद्योगिक	

14

2.6.4 राजकीय (सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय)

14

2.6.5 आमोद-प्रमोद

15

2.6.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

16-21

2.6.6 (अ) शैक्षणिक

16

2.6.6 (ब) चिकित्सा सुविधाएं

17

2.6.6 (स) सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक

18

2.6.6 (द) अन्य सामुदायिक सुविधाएं

18

2.6.6 (य) जनोपयोगी सुविधाएं

19-21

2.6.6 (य-1) जलापूर्ति

19

2.6.6 (य-2) जल-मल निकास व ठोस कचरा
निस्तारण एवं

प्रबन्धन

20

2.6.6 (य-3) विद्युत आपूर्ति

20

2.6.6 (र) श्मशान एवं कब्रिस्तान

21

2.6.7 परिसंचरण

22-23

2.6.7 (अ) यातायात व्यवस्था

	2.6.7 (ब) बस स्टेण्ड एवं यातायात नगर
23	
	2.6.7 (स) रेल एवं हवाई सेवा
23	
3-	fu; kstu dh l dYi uk
24-27	
	3.1 नियोजन की नीतियाँ
25	
	3.2 नियोजन के सिद्धान्त
26	
4-	Hkkoh vkdkj
28-34	
	4.1 जनसांख्यिकी
28	
	4.2 व्यावसायिक संरचना
29	
	4.3 नगरीय क्षेत्र
31	
	4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र
31	
	4.5 योजना क्षेत्र
32	
	4.5.1 पश्चिमी योजना क्षेत्र
33	
	4.5.2 पूर्वी योजना क्षेत्र
33	
	4.5.3 दक्षिणी योजना क्षेत्र

34	4.5.4 परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र
34	
5-	Hk&mi ; ksx ; kst uk
35-57	
	5.1 आवासीय
36-38	
	5.1.1 आवासन
37	
	5.1.2 इन्फोरमल सैक्टर के लिए आवास
37	
	5.1.3 अफोर्डेबल हाऊसिंग क्षेत्र
38	
	5.2 वाणिज्यिक
38-42	
	5.2.1 खुदरा व्यापार
40	
	5.2.2 वाणिज्यिक केन्द्र
40	
	5.2.3 थोक व्यापार एवं विशेष बाजार
41	
	5.2.4 भण्डारण एवं गोदाम
42	
	5.3 औद्योगिक
42	
	5.4 राजकीय (सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय)
43	
	5.5 आमोद-प्रमोद
44-45	
	5.5.1 उद्यान एवं खुले स्थल

44	5.5.2 स्टेडियम			
45	5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक			
45-51	5.6.1 शैक्षणिक			
46	5.6.2 चिकित्सा सुविधाएं			
48	5.6.3 अन्य सामुदायिक सुविधाएं			
49	5.6.4 जनोपयोगी सुविधाएं			
49-51	5.6.4 (अ) जलापूर्ति			
49	5.6.4 (ब) जल-मल निकास व ठोस कचरा निस्तारण एवं प्रबन्धन			
50	5.6.4 (स) विद्युत आपूर्ति 50			
51	5.6.5 (द) श्मशान एवं कब्रिस्तान			
51	5.7 परिसंचरण			
51-55	5.7.1 प्रस्तावित यातायात संरचना			
51-54	5.7.1 (अ) सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार			
53	5.7.1 (ब) चौराहों का सुधार			
53	5.7.1 (स) फ्लाई ओवर			
53	5.7.1 (द) पार्किंग व्यवस्था			
54				

	5.7.2 बस स्टेण्ड एवं यातायात नगर
54	5.7.3 रेल एवं हवाई सेवा
55	
	5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र
55-56	
	5.8.1 ग्रामीण आबादी क्षेत्र
56	
	5.9 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण
56	
6-	; kst uk dk dk; kll; u
58-62	
	6.1 वर्तमान आधार
59	
	6.2 प्रस्तावित आधार
59	
	6.3 जन-सहभागिता एवं जन-सहयोग
60	
	6.4 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति
61	
	6.5 उपसंहार
62	
i f j f' k"V %	
	1. राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्घरण
63	
	2. राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम 1962 के उद्घरण
65	
	3. राजकीय अधिसूचना दिनांक 02.5.2003
68	
	4. राजकीय अधिसूचना दिनांक 28.4.2006
70	

Øe l a	rkfydk dk fooj .k	i "B l a
1	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, पीलीबंगा : 1971-2001	9
2	व्यावसायिक संरचना, पीलीबंगा : 1991-2001	10
3	विद्यमान भू-उपयोग, पीलीबंगा : 2003	11
4	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, पीलीबंगा : 2003	15
5	शैक्षणिक संरचना, पीलीबंगा : 2003	17
6	जलापूर्ति, पीलीबंगा : 2003	19
7	विद्युत आपूर्ति, पीलीबंगा : 2003	21
8	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमानित जनसंख्या, पीलीबंगा : 1981-2023	29
9	अनुमानित व्यावसायिक संरचना, पीलीबंगा : 2023	30
10	योजना क्षेत्र, पीलीबंगा : 2023	32
11	प्रस्तावित भू-उपयोग, पीलीबंगा : 2023	36
12	वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, पीलीबंगा : 2023	39
13	प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्र, पीलीबंगा : 2023	41
14	औद्योगिक गतिविधियों का विवरण, पीलीबंगा : 2023	43
15	राजकीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग विवरण, पीलीबंगा : 2023	44
16	सार्वजनिक/अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भू-उपयोग का विवरण, पीलीबंगा :2023	46
17	शैक्षणिक सुविधाओं के भू-उपयोग का विवरण, पीलीबंगा : 2023	47
18	चिकित्सा सुविधाओं के भू-उपयोग का विवरण, पीलीबंगा : 2023	48
19	प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, पीलीबंगा : 2023	52
20	सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार, पीलीबंगा : 2023	52

lkfj p;

पीलीबंगा कस्बा जिला मुख्यालय हनुमानगढ से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम एवं संभाग मुख्यालय बीकानेर से 200 किलो मीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से यह हनुमानगढ जिले का उपखण्ड व तहसील मुख्यालय है। यह उत्तर-पश्चिम रेलवे की सूरतगढ-हनुमानगढ ब्रॉडगेज लाईन पर स्थित एक रेलवे स्टेशन है। माध्य समुद्रतल से यह औसतन 183.315 मीटर की ऊँचाई पर बसा हुआ है।

ऐतिहासिक वर्णन से पता चलता है कि यहाँ वैदिक काल से सरस्वती नदी शिवालिक पहाड़ से निकल कर बहती थी, इसी कारण आर्यों के लिए इस स्थान का विशेष महत्त्व था। महाभारत में इस प्रदेश का वर्णन "जांगल" नाम से किया गया है, जिसको जंगल कहा जाता है। पीलीबंगा व इसके पास कालीबंगा एवं रंगमहल से सिन्धु घाटी सभ्यता की हड़प्पा संस्कृति के प्राचीन अवशेष खुदाई में पाये गये हैं, जो लगभग 2400 ई. पूर्व के हैं। अतः यह क्षेत्र प्राचीनकाल से ही कृषि एवं बसावट योग्य क्षेत्र है। कालान्तर बाद सरस्वती नदी तो लुप्त हो गयी लेकिन उसके स्थान पर घग्घर नदी आज भी बहती है।

पीलीबंगा कृषि उपज की एक प्रमुख मण्डी है, जिसे पूर्व में लखुवाली मण्डी के नाम से जाना जाता था एवं तत्कालीन बीकानेर रियासत (1488-1947) के समय सूरतगढ निजामात के अधीन थी। पीलीबंगा गाँव की रोही में रेलवे स्टेशन बनने से इसका नाम पीलीबंगा रखा गया।

बीकानेर रियासत के तत्कालीन महाराजा श्री गंगासिंह जी के प्रयत्नों से सन् 1917 में यहाँ कुछ दुकानें एवं आवासीय भूखण्ड जनता को आवंटित किए गए जो आज पुरानी आबादी क्षेत्र में हैं। उसी समय यहाँ पुलिस चौकी, शिकारखाना आदि की स्थापना की गई। इनकी स्थापना से यह प्रशासनिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु बन गया एवं इससे

शहरी विकास होना प्रारम्भ हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शहर की सभी दिशाओं में आबादी बढ़ने लगी एवं सभी महत्वपूर्ण विकास कार्य शुरू किए गए। देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से शरणार्थी यहाँ आकर बस गये। 1960 के दशक में इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना एवं भाखड़ा केनाल सिस्टम आ जाने से इस क्षेत्र का तीव्र गति से विकास हुआ। यहाँ खाद्यान्न एवं व्यापारिक उपजों का भण्डारण होने से खाद्य तेल मिल्स, चावल तथा कॉटन जिनिंग व प्रेसिंग आदि औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हुई, जिसमें हजारों मजदूर काम करते हैं। 1960 में यह शहर विद्युत लाईन से जुड़ा। कृषि उपज मण्डी को 'अ' श्रेणी का किया गया। राजकीय अस्पताल की स्थापना की गयी। सूरतगढ से हनुमानगढ सड़क पीलीबंगा से होकर बनाई गयी। इससे शहर का विकास तीव्र गति से हुआ। नागरिक प्रशासन 1974 में पंचायत से नगर पालिका को दिया गया। इसके पश्चात् शहर में सड़कें एवं कुछ नालियाँ बनायी गयी। अभी भी जल-मल निकास की उचित व्यवस्था नहीं है। गंदा पानी एवं कचरा सड़क व गड्ढों में पड़ा रहता है, जिससे अनेकों बीमारियाँ फैलने की संभावना बनी रहती है।

पीलीबंगा में ज्यादातर सड़कें कच्ची व संकड़ी हैं। मुख्य यातायात सूरतगढ-हनुमानगढ सड़क एवं स्टेशन से बाजार की ओर आने वाली सड़क पर रहता है। रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टेण्ड है, जो हनुमानगढ-सूरतगढ मुख्य सड़क पर है। किंतु यह स्थल अपर्याप्त है। निजी बसों व ट्रकों को खड़ा करने के लिए कोई उचित व नियत स्थान नहीं है। शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। अनाधिकृत एवं अव्यवस्थित विकास मुख्यतः पश्चिम व पूर्व में बाहरी क्षेत्रों में फैलता जा रहा है। समग्र शहरी विकास हेतु दिशा-निर्देशों के अभाव में नगर पालिका तथा अन्य सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा सुधार हेतु किए गए उपाय भी सार्थक सिद्ध नहीं हुए हैं। अतः शहर के अव्यवस्थित विकास को रोकना जरूरी हो गया है। बड़े कस्बों/नगरों/शहरों में गाँवों से आबादी के पलायन को रोकने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर कदम उठाये जाते रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा आई डी एस एम टी आदि योजनाओं को स्वीकृत कर ऋण/अनुदान के द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

उपरोक्त समस्याओं को देखते हुये यह अति आवश्यक है कि शहर के लिए एक

ऐसी योजना बनाई जाये, जिसमें वर्तमान समस्याओं का समाधान होने के साथ ही युक्ति-युक्त रूप से भावी विकास हो सकें । अतः शहर के लिए एक मास्टर प्लान को बनाया जाना आवश्यक है । इस मन्तव्य से ही राज्य सरकार ने पीलीबंगा का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम,1959 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक: एफ.10(15)नविवि/3/2003 जयपुर 3 (1) दिनांक 02.05.2003 जारी कर 5 पूर्ण व 11 आंशिक ग्रामों/चकों को सम्मिलित करते हुये नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राज0, जयपुर को अधिकृत किया है ।

पीलीबंगा की जनसंख्या वर्ष 2001 में 33,607 दर्ज की गयी है जो क्षितिज वर्ष 2023 में अनुमानतः 63,000 हो जाएगी। वर्तमान में पीलीबंगा का विकसित क्षेत्र 999 एकड़ है। पीलीबंगा का मास्टर प्लान वर्ष 2023 तक के शहरी क्षेत्र के विस्तार एवं भविष्य में जनसंख्या वृद्धि, शहर के भावी विकास एवं अन्य बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और प्रयत्न किया गया है कि शहर का नियोजन इस प्रकार हो कि व्यवस्थित एवं नियोजित शहर बन सके।

मास्टर प्लान बनाने के लिए नगर नियोजन विभाग द्वारा इस क्षेत्र के भौतिक एवं आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण किया गया तथा द्वितीय स्त्रोतों को माध्यम से आवश्यक सूचनाएं संकलित कर उनका विश्लेषण किया गया एवं इनके आधार पर मास्टर प्लान का आधार वर्ष 2003 व क्षितिज वर्ष 2023 मानकर शहर की अनुमानित जनसंख्या हेतु विभिन्न नगरीय आवश्यकताओं का निर्धारण कर उनको संभावित रूप से योजना रूप में प्रस्तावित पीलीबंगा के प्रारूप मास्टर प्लान को उक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत दिनांक 28.4.2006 को जनता की आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया। इस मास्टर प्लान प्रारूप में नगर मानचित्र, सामान्यीकृत विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र, भू-उपयोग योजना मानचित्र-2023 व अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाने वाला नगरीय क्षेत्र मानचित्र भी सम्मिलित किये गये हैं। पीलीबंगा मास्टर प्लान पर निर्धारित समयावधि में कुल 7 आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से 6 आपत्ति/सुझाव व्यक्तिगत रूप से प्राप्त तथा 1 आपत्ति/सुझाव सामूहिक रूप से प्राप्त हुए। प्राप्त सभी आपत्ति/सुझावों का विस्तृत

अध्ययन एवं मौका निरीक्षण किया गया। उक्त कुल 7 आपत्तियों/सुझावों में सभी सामान्य प्रकृति के थे, जिनमें से 6 आपत्तियाँ/सुझाव स्वीकृति योग्य नहीं पाये गये तथा 1 आपत्ति/सुझाव पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं समझी गयी।

पीलीबंगा का मास्टर प्लान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 5 (3) के अनुसरण में अंतिम रूप से तैयार कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6(1) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के पास अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा रहा है।



वर्तमान में
वर्तमान में
वर्तमान में

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प.10(15)नवि/3/2003 दिनांक 04.08.14 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिशिष्ट-5)

2

fo | eku fo' k's'krk, a

एक नगर मानवीय गतिविधियों का मुख्य केन्द्र होता है, जो कि अपने आस-पास के क्षेत्र से विशिष्ट सम्बन्ध बनाये रखता है। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप यह अपने स्वयं के कार्य-कलापों को उत्पन्न करता है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि आने वाले दशकों में नगर के विकास को सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित करने हेतु, नीति निर्धारण करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व, क्षेत्र के सापेक्ष नगर की स्थिति, इसके योगदान तथा महत्व का अध्ययन किया जावे। साथ ही इसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व व्यावसायिक संरचना, भू-उपयोग तथा विकास की प्रवृत्ति एवं प्रगति का भी अध्ययन किया जाये, जिससे योजना मानवीय मानदण्डों के अनुरूप हो सके।

इन अध्ययनों से उन समस्त तत्वों का आंकलन किया जा सकता है तथा उन तत्वों को पहचाना जा सकता है, जिनसे नगर का विकास प्रभावित हुआ है और जो भविष्य में भी नगरीय क्षेत्र को प्रभावित करते रहेंगे। इस अध्ययन में उन सभी तथ्यों एवं उनके प्रभावों का संक्षेप में उल्लेख है।

2-1 Hkkf rd Lo: lk , oa tyok; q

पीलीबंगा राजस्थान प्रदेश के उत्तर में $29^{\circ} 27'$ अक्षांश एवं $74^{\circ} 05'$ पूर्वी देशान्तर पर माध्य समुद्र तल से 183.315 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। पीलीबंगा के आसपास का क्षेत्र प्रमुखतः समतल है।

यहाँ की जलवायु अर्द्ध-शुष्क है। ग्रीष्मकाल में मौसम अत्यधिक गर्म तथा शीतकाल में अत्यन्त ठण्डा रहता है। यहाँ का अधिकतम औसत तापमान 20 से 46 डिग्री सेण्टीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 4 से 20 डिग्री सेण्टीग्रेड रहता है। गर्मियों में दक्षिणी-पश्चिमी हवाएं औसतन 12 किलोमीटर प्रति घण्टा तथा सर्दियों में 3 किलोमीटर प्रति घण्टा की गति से चलती है। यहाँ अधिकांशतः वर्षा जून से सितम्बर माह में होती

है। इस अवधि में लगभग 350 मिली मीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में हवाओं की दिशा मुख्य रूप से अप्रैल से सितम्बर तक दक्षिण-पश्चिम तथा अक्टूबर से मार्च तक उत्तर-पश्चिम व उत्तर-पूर्व की ओर रहती है। अप्रैल से जून के महीने सबसे अधिक गर्म होते हैं।

2-2 {ks=h; ifji&; %&

पीलीबंगा, हनुमानगढ़ जिले के अन्तर्गत उपखण्ड व तहसील मुख्यालय है। हनुमानगढ़ को वर्ष 1994 में जिले का दर्जा मिला। यह राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है। इस जिले के उत्तर-पूर्व में पंजाब एवं हरियाणा राज्य, दक्षिण में चूरु व बीकानेर जिले तथा पश्चिम में श्रीगंगानगर जिला है। यह शहर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ के दक्षिण-पश्चिम में 25 किलोमीटर की दूरी पर है। पीलीबंगा रेलवे एवं सड़क मार्ग से हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, जयपुर एवं बीकानेर आदि प्रमुख शहरों/नगरों से भलीभाँति जुड़ा हुआ है तथा बड़ी रेलवे लाईन बीकानेर, जोधपुर एवं भटिण्डा यहाँ से होकर जाती है।

हनुमानगढ़ जिला 9656.09 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जिले में भाखड़ा नहर एवं इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के आने के पश्चात् कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्षा के दिनों में घग्घर नदी भी इस क्षेत्र में सिंचाई का साधन है। जिले में दोमट मिट्टी, घग्घर उपजाऊ, सेमग्रस्त, अर्द्ध-मरुस्थलीय व मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। यहाँ बढ़िया किस्म का चावल, गेहूँ, चना, कपास, नरमा, सरसों, तारामीरा इत्यादि फसलें होती हैं। जिले का 91.39 प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। कुल क्षेत्र का 2.50 प्रतिशत जंगलात, गोचर भूमि के अन्तर्गत है तथा लगभग 6.11 प्रतिशत खेती के लिए अनुपयुक्त है। यहाँ नोहर, भादरा एवं रावतसर तहसील क्षेत्रों में जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

पीलीबंगा के निवासियों का मुख्य धन्धा कृषि आधारित उद्योग के अतिरिक्त व्यापार,

वाणिज्य, परिवहन तथा संचार आदि है। पीलीबंगा में कृषि आधारित वस्तुओं का निर्माण एवं निर्यात काफी मात्रा में होता है। यहाँ विनिर्मित होने वाली प्रमुख वस्तुओं में कपास, खाद्य तेल व चावल हैं। इनके अलावा यहाँ से कपड़ा, चावल तथा गेहूँ काफी मात्रा में अन्य क्षेत्रों को भेजा जाता है। ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में पीलीबंगा कृषि व व्यापार के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण शहर होगा।

2-3 , frgkfl d %&

पीलीबंगा शहर हनुमानगढ जिले का तहसील एवं उपखण्ड मुख्यालय है। हालांकि यह शहर काफी पुराना नहीं है मगर यहाँ वैदिक काल से सरस्वती नदी शिवालिक पहाड़ से निकल कर इस क्षेत्र में बहती थी। इसी कारण आर्यों के लिए इस स्थान का विशेष महत्त्व था। महाभारत में इस प्रदेश का वर्णन “जांगल” नाम से किया गया है जिसको जंगल कहा जाता है। पीलीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पाये गये हैं जो लगभग 2400 ई. पूर्व के हैं। सरस्वती नदी कालान्तर में लुप्त हो गयी मगर वर्तमान में घग्घर नदी व भाखड़ा नहर इस शहर को फलीभूत किए हुए हैं।

आज से लगभग सौ वर्ष पूर्व लखुवाली, दुलमानी, धीरदेसर व पीलीबंगा गाँव ढाणियों के रूप में थे। पूर्व में पीलीबंगा शहर इन्हीं गाँवों को मिलाकर पीलीबंगा मण्डी के रूप में विकसित हुआ। उस समय इस शहर को लखुवाली मण्डी कहा जाता था, परंतु पीलीबंगा गाँव की रोही में रेलवे स्टेशन बनने से इस शहर का नाम पीलीबंगा मण्डी रखा गया। यहाँ सूरतगढ भटिण्डा रेलवे लाईन सन् 1902 में बिछाई गई। श्रीगंगासिंहजी द्वारा लगभग सन् 1917 में वाणिज्यिक व आवासीय योजना लागू करने से शहर के विकास में तीव्र गति मिली। वर्तमान में उक्त वाणिज्यिक क्षेत्र शहर के बीच पुरानी आबादी क्षेत्र में आता है।

इस शहर का महत्त्वपूर्ण विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हुआ। सन् 1947 में देश के विभाजन के समय पाकिस्तान से काफी शरणार्थी यहाँ आकर बसे। राजस्थान

कॉलोनाईजेशन एक्ट 1958 के अन्तर्गत सन् 1965 में राज्य सरकार द्वारा यह मण्डी भाखड़ा मण्डी के विकास के अधीन ली गयी तथा "अ" श्रेणी में रखी गयी। पीलीबंगा के आसपास के क्षेत्रों में इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना व भाखड़ा केनाल सिस्टम द्वारा सिंचाई हो रही है। इस क्षेत्र में खाद्यान्न एवं वाणिज्यिक उपजों का भण्डार होने से शहर में कॉटन जिनिंग व प्रेसिंग, चावल तथा खाद्य तेल आदि औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं। 1960 में यह शहर विद्युत लाईन से जुड़ा। राजकीय अस्पताल की स्थापना की गई। सूरतगढ से हनुमानगढ सड़क पीलीबंगा से होकर बनायी गयी। नगर पालिका की स्थापना सन् 1974 में होने से शहर के विकास के साथ-साथ सड़कों व नालियों का निर्माण हुआ। वर्तमान में शहर का विकास सूरतगढ व हनुमानगढ सड़क के साथ-साथ हो रहा है। पीलीबंगा का नगरीयकृत क्षेत्र 1160 एकड़ में फैला हुआ है।

2-4 तुलनात्मक विश्लेषण

जनसंख्या की दृष्टि से पीलीबंगा शहर का जिले में पांचवां स्थान है। पीलीबंगा की जनसंख्या सन् 1971 में 10,153 थी जो बढ़कर सन् 2001 में 33,607 हो गयी है। आंकड़ों की दृष्टि से 71 व 81 के दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1971-81 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम 75.83 प्रतिशत रही। सन् 1981-91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 46.43 प्रतिशत एवं 1991-2001 के दशक में 28.57 प्रतिशत थी। पीलीबंगा की जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति को तालिका-1 में दर्शाया गया है :-

तालिका-1

जनसंख्या वृद्धि दर 1971-2001

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि दर (%)	वृद्धि (अंक)	वृद्धि (प्रतिशत)
1	1971	10,153	---	---
2	1981	17,852	+ 7,699	+ 75.83

3	1991	26,140	+ 8,288	+ 46.43
4	2001	33,607	+ 7,467	+ 28.57

स्त्रोत – भारतीय जनगणना 2001

2-5 0; kol kf; d l j puk %&

पीलीबंगा कस्बे में कार्यशील व्यक्तियों का अनुपात सन् 1991 की जनसंख्या के आधार पर 27.99 प्रतिशत था, एवं कुल कामगार 7263 हो गये। शहर में सन् 2001 तक जनसंख्या के आधार पर 30 प्रतिशत हो गया और कुल कामगार लगभग 10,082 हो गये हैं। पीलीबंगा के कुल कार्यरत व्यक्तियों में से 31 प्रतिशत प्राथमिक सैक्टर में, 18 प्रतिशत द्वितीयक सैक्टर में और 51 प्रतिशत तृतीयक सैक्टर में कार्यरत हैं। प्राथमिक सैक्टर में काश्तकार, खेतीहर मजदूर, पशुपालक, जंगलात एवं खनन संबंधी कार्य की भागीदारी दर्ज है। द्वितीयक सैक्टर में उद्योग और निर्माण से सम्बन्धित गतिविधियाँ दर्ज हैं। उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के अतिरिक्त समस्त सेवाएं तृतीयक सैक्टर में आती हैं। अतः व्यावसायिक संरचना के विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के प्रतिशत से यह स्पष्ट है कि पीलीबंगा कृषि, व्यापार एवं वाणिज्यिक तथा अन्य सेवाओं का केन्द्र है। पीलीबंगा की व्यावसायिक संरचना को तालिका-2 में दर्शाया गया है :-

Rkkfydk & 2

0; kol kf; d l j puk & i hyhcæxk 1991&2001

dæ l æ; k		1991		2001	
		dk; Z khy 0; fDr	lkfr' kr	dk; Z khy 0; fDr	lkfr' kr
1	कृषि, खनन एवं तत्संबंधी कार्य	2586	35.60	3125	31.00
2	उद्योग	954	13.14	1411	14.00

3	निर्माण	191	2.63	403	4.00
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	1837	25.29	2622	26.00
5	यातायात एवं संचार	556	7.66	807	8.00
6	अन्य सेवाएं	1139	15.68	1714	17.00
	कुल	7263	100.00	10082	100.00

स्रोत - भारतीय जनगणना

2-6 फौलाड़ा का क्षेत्रफल ; क्षेत्रफल %

फौलाड़ा कस्बा लगभग 4.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 2003 में फौलाड़ा का लगभग 1160 एकड़ क्षेत्र नगरीयकृत क्षेत्र है जिसमें से 999 एकड़ विकसित क्षेत्र है। विद्यमान भू-उपयोग की गणना के आधार पर कुल विकसित क्षेत्र का 52.00 प्रतिशत आवासीय, 4.8 प्रतिशत व्यावसायिक, 6.70 प्रतिशत औद्योगिक, 14.70 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक तथा 19.32 प्रतिशत परिसंचरण के अन्तर्गत है। विद्यमान भू-उपयोग वर्ष 2003 को तालिका-3 में दर्शाया गया है:-

क्षेत्रफल & 3

फौलाड़ा का क्षेत्रफल ; क्षेत्रफल % 2003

क्र.सं.	क्षेत्रफल ; क्षेत्रफल %	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल %
1	आवासीय	523	52.00	45.45
2	वाणिज्यिक	48	4.80	4.13
3	औद्योगिक	67	6.70	5.78

4	राजकीय	11	1.48	0.62
5	आमोद-प्रमोद	10	1.00	0.86
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	147	14.70	12.67
7	परिसंचरण	193	19.32	16.64
	द्वारा फलित र {क=	999	100-00	86-15
8	कृषि (फलोद्यान, पौधशाला आदि)	25.50	---	2.16
9	वन भूमि	12.50	---	1.08
10	रिक्त भूमि	114	-	9.83
11	जलाशय	9	-	0.78
	द्वारा उचित; निर् {क=	1160	&	100-00

स्त्रोत – नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण

2-6-1 विकास; %

वर्ष 2003 तक 523 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ विकसित हो चुकी है। विकसित आवासीय क्षेत्र मुख्य रूप से नगर पालिका एवं मण्डी विकास समिति द्वारा विकसित की गयी योजनाओं के रूप में है।

अन्य शहरों की तरह पीलीबंगा में भी उच्च घनत्व का विकास केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास हुआ है। शेष भाग तुलनात्मक दृष्टि से कम घनत्व वाले हैं। पीलीबंगा में तीन प्रकार का विकास हुआ है। प्रथम जो पुरानी आबादी क्षेत्र जहाँ पर प्राकृतिक रूप से विकास हुआ है। दूसरा मध्यम प्रकार का विकास जो कि नये कस्बे के रूप में हुआ है। तीसरे प्रकार का विकास बाहरी क्षेत्रों में नयी विकसित आवासीय

योजनाओं का है, जहाँ कम घनत्व का विकास हुआ है। अधिकतम घनत्व पीलीबंगा में मण्डी समिति के चारों तरफ के क्षेत्र में 350 व्यक्ति प्रति एकड़ तथा सबसे कम घनत्व बाहरी तरफ रेलवे लाईन के आसपास लगभग 40 व्यक्ति प्रति एकड़ है।

2-6-1 ¼½ vkokl u %&

नगर पालिका पीलीबंगा से प्राप्त सूचना के अनुसार पीलीबंगा में सन् 1991 की जनगणना के आधार पर कुल 5,228 परिवार आवासीय मकानों में निवास करते थे। इनकी संख्या वर्ष 2001 में बढ़कर 6,721 हो गयी है। बढ़ती हुयी आबादी के लिए और अधिक मकानों की आवश्यकता है।

2-6-1 ¼½ dPph cfLr; k; %&

नगर पालिका क्षेत्र में मुख्य रूप से वार्ड संख्या 1 से 6, 11 से 13, 17 से 20 एवं 21 से 25 सभी कच्ची बस्तियों के रूप में ही विकसित हुए हैं। एक ओर जहाँ नगर पालिका की आवासीय कॉलोनियां मूलभूत सुविधाओं से युक्त विकसित हुई है। वहीं कच्ची बस्तियों एवं कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यह अनाधिकृत विकास नियोजन मापदण्डों के अनुरूप नहीं है, जिन्हें नगर पालिका स्तर पर उपलब्ध कराये जाने के प्रयास जारी हैं। भविष्य में नई योजनाएं बनाते समय कच्ची बस्तियों एवं पुराने क्षेत्रों का पुनर्विकास तथा नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित है।

2-6-2 okf.kfT; d %&

पीलीबंगा शहर में कुल विकसित क्षेत्र में से लगभग 48 एकड़ भूमि को वाणिज्यिक

उपयोग में लिया जा रहा है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 4.80 प्रतिशत है। वाणिज्यिक गतिविधियां शहर की पुरानी बसावट, स्टेशन रोड व बस अड्डे के पास केन्द्रित हैं। शहर के भीतरी भाग में व्यावसायिक क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है तथा यातायात एवं पार्किंग की सुविधा का अभाव है।

पीलीबंगा में सुनियोजित मार्केट काम्पलेक्स का अभाव है। पीलीबंगा कस्बे के मध्य में कृषि उपज मण्डी स्थित है। वर्तमान में यहाँ पार्किंग सुविधा एवं दुकानों की पर्याप्त व्यवस्था है लेकिन बढ़ती कृषि उपजों के कारण भविष्य में यह क्षेत्र अपर्याप्त होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से पीलीबंगा की कृषि उपज मण्डी अपना प्रमुख स्थान रखती है और भविष्य में भी यह मण्डी टारुन के रूप में विकसित होती रहेगी। पीलीबंगा शहर में मनोरंजन के लिए दो सिनेमा घर वार्ड संख्या 6 में स्थित है।

2-6-3 vks| kfxd %&

पीलीबंगा में इस समय 67 एकड़ भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 6.70 प्रतिशत है। यहाँ कॉटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग, खाद्य तेल मिल, केटल फीड, ईट उद्योग एवं कृषि उपकरण निर्माण आदि उद्योग हैं। वर्ष 1991 में 954 एवं 2001 में अनुमानतः 1,411 व्यक्ति औद्योगिक व्यवसाय में कार्यरत थे। जिला उद्योग केन्द्र से एकत्रित सूचना के अनुसार शहर में सन् 2003 तक कुल 60 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां हैं। कुछ औद्योगिक इकाइयां जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत नहीं हैं, जबकि ये इकाइयां शहर में कार्यरत हैं।

2-6-4- jkt dh; ¼ jdkjh , oa v) l l jdkjh dk; kly; ½ %&

पीलीबंगा शहर स्वतंत्रता पूर्व बीकानेर रियासत की सूरतगढ निजामात के अधीन था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तहसील एवं उपखण्ड कार्यालय स्थापित होने से प्रशासनिक क्रियाकलापों एवं राजकीय रोजगारों की वृद्धि से शहर की आर्थिक संरचना को गति मिली

है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 1139 व्यक्ति अन्य सेवाओं में कार्यरत थे जबकि वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 1714 अर्थात् 17 प्रतिशत व्यक्ति अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। अधिकांश कार्यालय हनुमानगढ सड़क एवं नगर पालिका के आसपास स्थित हैं। वर्तमान समय में लगभग 22 सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय लगभग 11 एकड़ क्षेत्र में स्थित हैं। इनमें से 2 केन्द्र सरकार, 11 राज्य सरकार तथा 9 अर्द्ध-सरकारी कार्यालय हैं। इन कार्यालयों में 17 कार्यालय भवन सरकारी एवं 5 कार्यालय किराये के भवन में कार्यरत हैं। वर्तमान में 22 कार्यालयों में 497 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्ष 2003 में सरकारी कार्यालय एवं कर्मचारियों की स्थिति को तालिका-4 में दर्शाया गया है :-

Rkkfydk & 4

l jdkjh , oa v) l jdkjh dk; kly;] i hycæk & 2003

Ø- l a	dk; kly;	dk; kly; ka dh l æ; k	dk; j r deþkfj; ka dh l æ; k
1.	केन्द्र सरकार के कार्यालय	2	32
2.	राज्य सरकार के कार्यालय	11	264
3.	अर्द्ध सरकारी कार्यालय	9	201
	dy dk; kly;	22	497

स्त्रोत – नगर नियोजन विभाग, सर्वेक्षण

2-6-5 vkekn&i ækn %&

पीलीबंगा कस्बे के केन्द्र में एक अविकसित स्टेडियम है जो उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय कार्यालयों के मध्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 6.3 एकड़ है एवं बड़े विद्यालय परिसरों में विद्यार्थियों के लिए खेल मैदान हैं। नगर पालिका सीमा में कुल 6 उद्यान हैं, जिनमें संजय बाग, भगवान महावीर उद्यान, बाल वाटिका व सार्वजनिक

उद्यान मुख्य हैं। मनोरंजन की दृष्टि से यहाँ एकता मंच व तरुण क्लब हैं, जिनमें इण्डोर खेलों की सुविधा है। शहर में दर्शनीय स्थलों का अभाव होने के कारण पर्यटकों का आवागमन बहुत कम है। यहाँ सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियाँ सामान्य स्तर की हैं। पीलीबंगा में आमोद-प्रमोद के लिए जो स्थल वर्तमान में स्थित हैं वो काफी अपर्याप्त हैं। विकसित क्षेत्रफल का केवल 1.00 प्रतिशत अर्थात् 10 एकड़ भूमि ही आमोद-प्रमोद के काम में ली जा रही है।

2-6-6 I kołtfud , oa v) &I kołtfud %&

पीलीबंगा में कुल 147 एकड़ भूमि सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है, जो कुल विकसित क्षेत्र का लगभग 14.70 प्रतिशत है। वांछित योजना मानदण्डों की आनुपातिक दृष्टि से शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधाएं व जनउपयोगी सुविधाएं आदि का पर्याप्त विकास नहीं होने से वर्तमान में ये सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

2-6-6 ¼½ 'k\$kf.kd %&

पीलीबंगा उच्च शिक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित नहीं कर पाया है। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ एक महाविद्यालय है। इसके अतिरिक्त अन्य उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा आदि के लिए विद्यार्थियों को अन्यत्र शहरों में जाना पड़ता है, फिर भी उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए पीलीबंगा आसपास के क्षेत्र का शैक्षणिक केन्द्र है। शहर के विकास के साथ यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है। वर्तमान समय में शिक्षण संस्थाओं का विवरण उच्च माध्यमिक स्तर का तालिका संख्या 5 में दर्शाया गया है :-

Rkkfydk & 5
'kŝkf.kd l ĵpuk] i hyhcæxk & 2003

Ø- l a	Lrj@d{kk	vk; q l ewg	fo ky; tkus ; kŝ; Nk=ka dh l a[; k	fo ky; tk jgs Nk=		i R; d fo ky; ds Nk=ka dh vkŝ r l a[; k	fo ky; ks dh l a[; k
				l a[; k	lkfr'kr		
1	प्राथमिक विद्यालय (1-5)	6-11	4322	3736	86.44	220	17
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6-8)	12-14	2543	1124	44.20	80	14
3	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (9-12)	15-18	2938	4654	158.40	358	13

स्त्रोत – जिला शिक्षा अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं विभागीय सर्वेक्षण

पीलीबंगा में 17 प्राथमिक, 14 उच्च प्राथमिक एवं 13 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने का कारण यह है कि शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करके उच्च कक्षा में यहां प्रवेश

लेकर अध्ययन कर रहे हैं।

2-6-6 1/2 फीफ्दरी क I फो/क, a %&

पीलीबंगा में एक राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जिसमें वर्तमान समय में 30 शैयाओं की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा लगभग 1000 व्यक्तियों पर एक शैया के औसत से उपलब्ध है। यहाँ एम्बुलेंस, एक्स-रे मशीन, ई.सी.जी. आदि की भी सुविधा है। यहाँ एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय है जो बस स्टेण्ड के पास धर्मशाला में चल रहा है। औषधालय के लिए भवन एवं अन्य सुविधाओं का अभाव है। नगर की जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध सुविधाएं काफी कम हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ कुछ निजी क्लिनिक भी कार्यरत हैं। गौशाला के समीप एक पशु चिकित्सालय स्थित है।

2-6-6 1/2 I kekftd@I kLNfrd@/kkfed@, frgkfl d %&

पीलीबंगा में सामाजिक/सांस्कृतिक गतिविधियां सामान्य स्तर की होने के कारण विभिन्न समुदायों के व्यक्ति यहां पर उपलब्ध रिक्त स्थलों में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर मन्दिर, गुरुद्वारे इत्यादि धार्मिक स्थल हैं। जिनमें स्थानीय लोग पूजा व प्रार्थनाएं करते हैं। ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का यहां अभाव है।

पीलीबंगा में उत्तर की तरफ लगभग 14.5 एकड़ क्षेत्र को आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा पुरातत्व की दृष्टि से सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसकी घेराबंदी की जा चुकी है। उक्त क्षेत्र को मास्टर प्लान में यथावत् कायम किया गया है।

2-6-6 1/2 vU; I kepkf; d I फो/क, :-

अन्य सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत धर्मशालाएं, पुलिस थाना, अग्निशमन केन्द्र,

पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, दूर संचार केन्द्र, बैंक, क्लब, पुस्तकालय व सामुदायिक भवन आदि हैं। यहां पुलिस थाना हनुमानगढ-सूरतगढ रोड़ पर स्थित है तथा शहर में अन्य कोई चौकी नहीं है। एक दूरभाष केन्द्र व मुख्य डाकघर वार्ड संख्या 9 में स्थित है। शहर में अग्निशमन सेवा व पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ की नहर कॉलोनी व कृषि उपज मण्डी में विश्रामगृह तथा दो धर्मशालाओं की सुविधा उपलब्ध है।

2-6-6 ¼; ½ tuksi ; kxh | fo/kk, a %&

पीलीबंगा कस्बे में जलापूर्ति व विद्युत जैसी आवश्यक सेवाएं संतोषजनक नहीं है। शहर में अभी तक मल-जल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है।

2-6-6 ¼; &1½ tyki frl %&

पीलीबंगा में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत भाखड़ा नहर की पी बी एन डिस्ट्रीब्यूटरी है । शहर में प्रतिदिन 1800 किलोलीटर जल वितरित किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटरी से जल को ओवर हेड टैंक/डिग्गी से एकत्र कर ब्लीचिंग पाउडर से साफ करके सीधे ही सप्लाई कर दिया जाता है। फिलहाल फिल्टर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। पीलीबंगा में पानी की लगभग 60 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत है। शहर में जलापूर्ति के लिये विभिन्न प्रयोजनार्थ जारी किये गये कनेक्शनों को तालिका संख्या 6 में दर्शाया गया है:-

Rkkfydk & 6 tyki frl | hyhcaxk 2003

Øekad	mi ; kx	duD' kuka dh a[; k
1	घरेलू	2,609
2	वणिज्यिक	279

3	औद्योगिक	9
	dy	2]897

स्त्रोत – जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग – पीलीबंगा

2-6-6 ¼; &2½ ty&ey fudkl o Bks dpjk fuLrkj.k , oa i xll/ku %&

पीलीबंगा शहर में जल-मल निकास की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। वर्षा के पानी के निकास के लिये नालियों का उचित प्रावधान नहीं है, जिससे वर्षा के मौसम में पानी इधर-उधर सड़कों पर भरा रहता है तथा यातायात में बाधा आती रहती है। नगर पालिका ने कुछ स्थानों पर नालियों का निर्माण करवाया है, परन्तु अभी भी सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। शहर के अधिकांश मकानों में सैप्टिक टैंक की व्यवस्था उपलब्ध है। स्वच्छ शहर के लिये सीवरेज प्रणाली की आवश्यकता है। पीलीबंगा कस्बे में कचरा अभी भी इधर-उधर गड्डों में डाला जाता है। अतः कचरा प्रबन्धन किया जाना जरूरी है।

2-6-6 ¼; &3½ fo | r vki frl %&

पीलीबंगा में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। शहर में कुल 4 मेगावाट बिजली सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट एवं भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना से प्राप्त होती है। जो कि 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन द्वारा वितरित की जाती है। यहां प्रतिदिन 0.55 लाख यूनिट बिजली की खपत है जबकि बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ते क्रियाकलापों के लिये अधिक बिजली की आवश्यकता है। पीलीबंगा की विद्युत आपूर्ति को तालिका संख्या 7 में दर्शाया गया है :-

Rkkfydk & 7
fo | r vki fr] i hyhcæk & 2003

Øekad	mi ; ksx	duD' kuka dh a[; k
1	घरेलू	3320
2	औद्योगिक	10
3	सड़कों की रोशनी	13
4	कृषि	48
5	अन्य	1076
	dy	4467

स्त्रोत – जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड, पीलीबंगा

2-6-6 ½ 'e' kku , oa dfcLrku %&

पीलीबंगा में श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थल वर्तमान में शहर के अन्दरूनी हिस्सों में हैं, क्योंकि पूर्व में जब श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थल निर्धारित किये गये थे उस समय शहर की जनसंख्या कम थी तथा शहर का अधिक विकास नहीं हुआ था। शहर के बीच में अस्पताल के उत्तर में एक कब्रिस्तान व तीन विभिन्न जगहों पर श्मशान घाट हैं। इनमें पहला गुरु जम्भेश्वर कॉलोनी के दक्षिण-पश्चिम में, दूसरा लखूवाली गाँव के उत्तर में व तीसरा शहर के उत्तर-पूर्व में उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित है।

2-6-7 ifj| pj.k

2-6-7 ¼½ ; krk; kr 0; oLFkk %&

वर्ष 2003 तक नगर स्तर की सड़कों का विकास नहीं होने एवं मण्डी समिति कस्बे के अन्दर स्थित होने के कारण तथा खुदरा एवं थोक व्यापार क्षेत्र शहर के सघन आबादी क्षेत्रों में स्थित होने के कारण यहाँ पर यातायात का दबाव बहुत अधिक बढ़ गया है। शहर के पुराने एवं आन्तरिक भागों में सड़कों को यथा सम्भव चौड़ा करने की आवश्यकता है।

पीलीबंगा कस्बा, मण्डी विकास समिति के चारों तरफ ग्रिड आयरन पद्धति पर बसा हुआ है, जिसके तहत कार्य क्षेत्र मुख्य सड़कों पर तथा बाकी क्षेत्र आवासीय एवं अन्य उपयोगों के अन्तर्गत है। मण्डी विकास समिति द्वारा विकास के रूप में आन्तरिक सड़कें बनायी गयी हैं, जो अब यातायात की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सड़कें बन गयी हैं।

आवासीय क्षेत्रों में सड़कों की चौड़ाई 50–60 फीट है तथा अन्य गलियां काफी संकरी हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग 25–30 फीट है। पीलीबंगा में यद्यपि भवन रेखा को कायम किया गया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में फुटपाथ आदि पर कब्जे हो गये हैं। पुराने आवासीय क्षेत्रों में निर्माण सघनता से हुआ है तथा नई कॉलोनियों में सैटबैक आदि का काफी हद तक ध्यान रखा गया है। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में सड़कों पर कब्जे कर उनकी वास्तविक चौड़ाई कम कर दी गई है, जिसकी वजह से यहां पर सुगम यातायात के लिए काफी समस्या रहती है। मण्डी विकास समिति हनुमानगढ द्वारा विकसित की गई योजनाओं में पर्याप्त पार्किंग स्थल उपलब्ध है, लेकिन पुराने एवं अनाधिकृत रूप से बसी बस्तियों में पार्किंग का अभाव है। परिसंचरण हेतु लगभग 193 एकड़ अर्थात् 19.32 प्रतिशत भूमि काम में ली जा रही है।

2-6-7 ¼½ cl LVs M , oa ; krk; kr uxj %&

पीलीबंगा शहर में अव्यवस्थित रूप में रेलवे स्टेशन के पास आई डी एस एम टी योजना के अन्तर्गत निर्मित एक बस स्टेण्ड है जहाँ से काफी समय से बसों का संचालन किया जा रहा है। यह बस स्टेण्ड बढ़ते यातायात के लिए अपर्याप्त है। यातायात की दृष्टि से सूरतगढ-हनुमानगढ सड़क पर यातायात अधिक है। जो सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं उनमें यातायात का दबाव कम है। वर्तमान में यहाँ कोई यातायात नगर नहीं है।

2-6-7 ¼ ½ jsy , oa gokbz l ok %&

पीलीबंगा ब्रॉडगेज रेल लाईन द्वारा संभागीय मुख्यालय बीकानेर एवं जिला मुख्यालय हनुमानगढ व अन्य नगरों से भलीभाँति जुड़ा हुआ है। यहां पर अभी हवाई यातायात सुविधा उपलब्ध नहीं है।

fu; kstu dh | æYi uk

प्रत्येक नगर का अपना एक जीवन्त अस्तित्व होता है और इसका स्वरूप केवल मात्र किसी घटना का परिणाम नहीं, बल्कि विकास के पीछे एक पूरा इतिहास पाया जाता है । इस प्रकार एक नगर के भौतिक स्वरूप और इसकी संरचना में उसके विकास के विभिन्न काल एवं अवस्थाओं के दौरान इसके निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास की छाप आवश्यक रूप से दिखाई देती है । समुदाय के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ नगरीय संरचना के प्रतिरूप में भी इतिहास काल के दौरान परिवर्तन होता रहता है ।

व्यावसायिक, परिवहन और सामुदायिक सुविधाओं के विकास ने नगरों को अपनी पृष्ठभूमि की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपेक्षाकृत अधिक प्रायोगिक विकास केन्द्रों का स्वरूप प्रदान किया है । पुराने शहर के बाहरी इलाकों में बाजार, उद्यान, विद्यालय, कार्यालय आदि स्थापित किये जा चुके हैं । परिणाम स्वरूप तीव्रगति से विकास होने के कारण कस्बे में छितराये हुए विकास, संकुचित यातायात, असंगत उपयोग और सामुदायिक सुविधाओं का अभाव आदि अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अतः नगर नियोजन का उद्देश्य इन समस्याओं को न्यूनतम करना और भविष्य में नागरिकों के रहने के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है ।

3-1 fu; kstu dh uhfr; kj %

भौतिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा नगर के भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप, विकास की दिशा आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास किया जाता है । एक बार नगर के सम्बन्ध में ऐसे वृहद् निर्णय कर लिए जाते हैं तो

दिन-प्रतिदिन की समस्याओं पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढाँचे के संदर्भ में ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन नगर को अपने अन्तिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है । इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक से न तो कोई निर्णय ही लिया जा सकता है और न ही किसी कार्यक्रम को एकाकी रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है ।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढाँचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार एक मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों का एक लिखित विवरण है । इसके साथ एक भू-उपयोग योजना तथा अन्य मानचित्र भी होते हैं । भू-उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में रूपान्तरित करने की विधि है । वह वृहद परिसंचरण व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है । इस दृष्टि से मास्टर प्लान नगर प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है । प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की प्रबल जन आकांक्षाएं हो सकती हैं। अतः कतिपय मान्यताएँ निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है । इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप नियोजन की नीतियां निर्धारित की जाती हैं। इन नीतियों और उद्देश्यों के संदर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है । उक्त बातों को आधार बनाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है । पीलीबंगा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया में उक्त सभी बिन्दुओं की पालना की गयी है ।

3-2 fu; kstu ds fl) kUr %

पीलीबंगा की बढ़ती जनसंख्या, नगर के विकास की दिशा तथा भविष्य में होने वाले औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए भू-उपयोग के अनुरूप भूमि का आंकलन किया जाना चाहिए ताकि इसी अनुरूप समन्वित नियोजित विकास हो सके । उपर्युक्त वर्णित नियोजन नीतियों की पालना हेतु नियोजन के

निम्नांकित सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं :-

- 1 कस्बे में खाली भूमि उपलब्ध है, जिन पर अतिक्रमण तथा अनियोजित विकास की प्रबल सम्भावना है। अतः इन सभी क्षेत्रों का समुचित एकीकरण करने की दृष्टि से एक एकीकृत एवं समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।
- 2 पीलीबंगा के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के लिए विस्तृत परियोजना तैयार की जानी चाहिए और नहर एवं जलाशय आदि के किनारे पर बाग एवं उद्यान विकसित किया जाना चाहिए।
- 3 भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शहर में सुव्यवस्थित/एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिए तथा नगर के समीप प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।
- 4 पुराने कस्बे में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए एवं स्थान तथा क्षेत्रीय माँग को पूरा करने हेतु उपयुक्त स्थानों पर व्यावसायिक सुविधाओं की पदानुक्रम से विकसित की जानी चाहिए।
- 5 संकरी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को निषेध करने और उसे अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त स्थान संधारित कर अनाज, भवन निर्माण सामग्री, लकड़ी और लोहा बाजार आदि जो अधिक यातायात को प्रोत्साहन देते हैं, के थोक बाजारों हेतु पर्याप्त भूमि आरक्षित की जानी चाहिए।
- 6 आवासीय घनत्व के अनुरूप सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सेवाओं का विवेक सम्मत वितरण किया जाना चाहिए।
- 7 नगर के लिए परिसंचरण प्रतिरूप की एक ऐसी पदानुक्रमी व्यवस्था निश्चित की जाये जिससे विभिन्न चौड़ाई की सड़कों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके।
- 8 नगर की परिधि पर किसी प्रकार से अनियन्त्रित विकास को रोकने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी बनाई जाए। परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्दर की ग्रामीण बस्तियों के विकास को नियन्त्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिए।

4

Hkkoh vkdkj

पीलीबंगा के नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 16 राजस्व ग्रामों/चकों को सम्मिलित किया गया है। जिनका कुल क्षेत्रफल 7452 एकड़ है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या 33,607 है तथा वर्ष 2023 तक लगभग 63,000 हो जाने का अनुमान है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विस्तृत योजना तैयार की गयी है।

4-1 तुलनात्मक विकास :-

वर्ष 1981 में पीलीबंगा की जनसंख्या 17,852 थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 33,607 हो गई। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 46.43 प्रतिशत सन् 1981 से 1991 के मध्य रिकार्ड की गयी। इसका मुख्य कारण सिंचाई की सुविधा एवं नगरीय सुविधाओं का विकास एवं रोजगार के साधनों की उपलब्धता आदि रहे हैं। बाद के दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आयी है। इस दौरान वृद्धि दर 28.57 प्रतिशत रही। जिसका मुख्य कारण लोगों का शिक्षित होना, परिवार कल्याण की नीतियों को अपनाना तथा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई का जैसलमेर की तरफ विस्तार होना है। जिसकी वजह से लोगों का रुझान जैसलमेर की तरफ हो गया।

पीलीबंगा मण्डी "अ" श्रेणी होने के कारण राजस्थान की मण्डियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस मण्डी के कारण शहर के विकास को काफी गति मिली है। विकास की गति तथा भावी विकास की संभावनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2023 तक पीलीबंगा की जनसंख्या लगभग 63,000 हो जाएगी। अनुमान लगाते समय पीलीबंगा एक प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र होने के कारण जनसंख्या वृद्धि के दोनों घटक प्राकृतिक वृद्धि तथा प्रवासी जनसंख्या को भी दृष्टिगत रखा गया है। सन् 1981 से 2023 तक पीलीबंगा की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमानों को तालिका-8 में दर्शाया गया है।

तालिका 8

तालिका 8) जनसंख्या वृद्धि दर, 1981-2023

वर्ष	जनसंख्या	जनसंख्या वृद्धि दर	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1981	17852	—	—
1991	26140	4288	+46.43

2001	33607	7467	+28.57
2011 (अनुमानित)	45000	11393	+33.90
2021(अनुमानित)	60000	15000	+33.33
2023(अनुमानित)	63000	3000	+5.00

स्त्रोत : भारतीय जनगणना एवं नगर नियोजन विभाग क अनुमान

शहर में चल रही विकासशील योजनाओं के क्रियान्वयन एवं औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास के कारण शहर से हो रहे पलायन पर अंकुश लगेगा तथा शहर की जनसंख्या में अपेक्षित वृद्धि होगी।

4-2 0; kol kf; d l j puk %

वर्ष 2001 में पीलीबंगा का सहभागिता अनुपात 30 प्रतिशत था। क्षितिज वर्ष 2023 में शहर की व्यावसायिक संरचना भविष्य की आर्थिक सम्भावनाओं और वर्तमान परिस्थितियों के साथ अन्य शहरों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है। क्षितिज वर्ष तक कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात 32 प्रतिशत होने का अनुमान है। जबकि वर्ष 1991 में यह 27.79 प्रतिशत तथा वर्ष 2001 में 30 प्रतिशत ही था। अर्थात् वर्ष 2001 में 10082 कार्यशील व्यक्तियों की तुलना में सन 2023 में 19200 कामगारों की संख्या होने की संभावना है।

यह अनुमान है कि पीलीबंगा व्यापार एवं वाणिज्य, अन्य सेवाओं तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास करता रहेगा। इस प्रकार नगरीय गतिविधियों में वृद्धि के कारण खेतीहर मजदूरों के प्रतिशत में कमी आएगी तथा शेष क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत में वृद्धि होगी। क्षितिज वर्ष में व्यावसायिक संरचना और प्रत्येक वर्ग में श्रमिकों का विवरण तालिका संख्या 9 में दर्शाया गया है :-

वृत्तवर्ष 2023-24 का वित्त बजट का सारांश % 2023

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित व्यय (₹)	अनुमानित आय (₹)
1.	कृषि, उत्खनन व तत्संबंधी कार्य	2688	14.00
2.	उद्योग	3456	18.00
3.	निर्माण कार्य	960	5.00
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	6144	32.00
5.	यातायात एवं संचार	1728	9.00
6.	अन्य सेवाएं	4224	22.00
कुल		19200	100.00

स्रोत – नगर नियोजन विभागीय अनुमान

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 2023 में पीलीबंगा में 32 प्रतिशत कामगार वाणिज्यिक एवं व्यापारिक कार्यकलापों में कार्यरत रहेंगे। औद्योगिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण 18 प्रतिशत भागीदारी रहेगी। यातायात एवं संचार कार्यकलापों में 9 प्रतिशत तथा अन्य सेवाओं में 22 प्रतिशत रहने का अनुमान है। कस्बे की वृद्धि की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर ही भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए समुचित प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

4.3 अर्थ: { } %

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.10 (15) नवि/3/2003 जयपुर दिनांक 02.5.2003 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत पीलीबंगा के नगरीय क्षेत्र में 16 राजस्व ग्राम/चक अधिसूचित किये गये हैं। इनका कुल अधिसूचित क्षेत्र 7452 एकड़ है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर अनियोजित विकास को नियंत्रित करने की दृष्टि से

परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र निर्धारित किया गया है। अधिसूचित राजस्व ग्रामों/चकों की सूची परिशिष्ट 3 पर दी गई है।

4-4 uxjh; dj.k ; kX; {ks= %

पीलीबंगा की जनसंख्या आधार वर्ष 2003 में 33607 से बढ़कर मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2023 में 63000 होने का अनुमान है। योजना अवधि में लगभग 29393 व्यक्तियों की वृद्धि होगी। विकास के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए बढ़ी हुयी जनसंख्या के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु कुल 2480 एकड़ विकास योग्य क्षेत्र एवं 2514 एकड़ नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। नगर का प्रस्तावित जन घनत्व लगभग 25 व्यक्ति प्रति एकड़ होने का अनुमान है। भूमि की उपलब्धता तथा वर्तमान विकास से प्रतीत होता है कि नगरीय विकास अधिकतर सूरतगढ-हनुमानगढ सड़क के उत्तर-पूर्व एवं उत्तर-पश्चिम की तरफ होगा। सूरतगढ-हनुमानगढ सड़क के दक्षिण की तरफ रेलवे लाईन के दूसरी तरफ विकास कम होगा।

4-5 ; kst uk {ks= %

विद्यमान विशेषताओं एवं आर्थिक क्रियाकलापों के लिए भू-उपयोग सहित प्राकृतिक अवशेष तथा विभिन्न गतिविधियों के पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए पीलीबंगा को 4 योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र को छोड़कर शेष प्रत्येक योजना क्षेत्र, आवासीय, वाणिज्यिक, आमोद-प्रमोद, शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर होंगे।

rkfydk & 10

; kst uk {ks=] i hyhcaxk % 2023

Øekad	; kst uk {ks=	{ks=Qy ¼, dM+ e½
-------	---------------	------------------

अ	पश्चिमी योजना क्षेत्र	1110
ब	पूर्वी योजना क्षेत्र	1050
स	दक्षिण योजना क्षेत्र	354
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	2514
द.	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	4938
कुल		7452

स्रोत – नगर नियोजन विभाग का आंकलन

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र के मानचित्र में राजस्व ग्राम/चक का नाम, विद्यमान नगरीयकृत क्षेत्र, सन् 2023 के लिए प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमाओं के साथ दर्शाया गया है।

4-5-1 पीलीबंगा ; कस्तूरक %

यह योजना क्षेत्र पीलीबंगा रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड से गोलूवाला गाँव को जाने वाली सड़क एवं सूरतगढ सड़क के मध्य प्रस्तावित बाईपास तक दर्शाया गया है । इस योजना उपक्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1110 एकड़ है । इस योजना उपक्षेत्र में महा विद्यालय, दो उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक माध्यमिक विद्यालय, एक चिकित्सालय, एक पशु चिकित्सालय, राजकीय अविकसित स्टेडियम, धानमण्डी का आधा भाग, गौशाला, टेलीफोन एक्सचेंज व वन विभाग का कार्यालय स्थित है। इनके अलावा वाणिज्यिक केन्द्र, अन्य सामुदायिक सुविधाओं, माध्यमिक विद्यालय, यातायात नगर, सामान्य चिकित्सालय, सार्वजनिक सुविधाएं, भण्डारण गोदाम तथा थोक व्यापार एवं पार्क व खुले स्थल आदि हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

4-5-2 हनुमानगढ ; कस्तूरक %

यह योजना क्षेत्र पीलीबंगा रेलवे स्टेशन व बस स्टैण्ड से गोलूवाला गाँव को जाने वाली सड़क एवं हनुमानगढ सड़क के मध्य प्रस्तावित बाईपास तक दर्शाया गया है, इस

योजना उपक्षेत्र का कुल 1050 एकड़ है। इस योजना उपक्षेत्र में एक सैकण्डरी व एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल, धान मण्डी का शेष भाग, औद्योगिक क्षेत्र, पुलिस थाना, वाटर वर्क्स, नगर पालिका एवं तहसील कार्यालय, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, तहसील कार्यालय एवं एस डी एम कोर्ट स्थित है। क्षितिज वर्ष 2023 की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र में महाविद्यालय, स्टेडियम, पशु चिकित्सालय, अन्य सामुदायिक सुविधाओं, वाणिज्यिक केन्द्र, बस स्टेण्ड, चिकित्सा सुविधाओं व पार्क एवं औद्योगिक क्षेत्र हेतु स्थल प्रस्तावित किए गए हैं।

4-5-3 nf{k.kh ;kst uk {ks= %&

यह योजना क्षेत्र सूरतगढ-हनुमानगढ सड़क एवं रेलवे स्टेशन के दक्षिणी ओर लगभग 354 एकड़ क्षेत्रफल में दर्शाया गया है। यह क्षेत्र अधिकतर खाली है, इसमें एक सिंचाई विभाग की कॉलोनी स्थित है। इस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं, माध्यमिक विद्यालय, वाणिज्यिक केन्द्र व अन्य सामुदायिक सुविधाओं व पार्क हेतु स्थल प्रस्तावित किए गए हैं।

4-5-4 i f j f / k f u ; æ . k i V \ h { k s = %

उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों तथा नगरीकरण योग्य क्षेत्र के बाहर तथा अधिसूचित नगरीय सीमा के मध्य का क्षेत्रफल परिधि नियंत्रण पट्टी के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में ग्रामीण आबादी के विद्यमान स्वाभाविक विकास के साथ-साथ कृषि, वृक्षारोपण, डेयरी फार्मिंग, कृषि आधारित लघु उद्योग, फार्म हाऊस, रिसोर्ट, उत्खनन आदि अन्य संबंधित गतिविधियां अनुज्ञेय हैं। शहर के भावी समेकित विकास की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी का अहम् महत्त्व रहेगा। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 4938 एकड़ है।

भूमि ; कस ; कसुक

भू-उपयोग योजना विभिन्न योजनागत नीतियों और सिद्धान्तों का स्थानिक विस्तार के रूप में स्थानान्तरण है। इसकी रचना नगर की विद्यमान विशेषताओं एवं सम्भावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गयी है। नगरीय भूमि दुर्लभ संसाधन है अतः इसका उपयोग जहाँ तक संभव हो, समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधि-सम्मत आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित तथा समन्वित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर नियोजन के मानदण्डों का निर्धारण किया गया है और उन्हीं के अनुरूप विभिन्न नगरीय कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकताओं का आकलन किया गया है। क्षेत्र विशेष की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए भू-उपयोग योजना में विभिन्न नगरीय कार्यों की स्थल स्थिति की पहचान दर्शायी गयी है। क्षितिज वर्ष 2023 के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग योजना हेतु मदवार भू-उपयोग में कमी/अधिकता, मदवार वर्ष 2003-2023 के दौरान अतिरिक्त जनसंख्या के लिए आवश्यकता, क्षितिज वर्ष के भू-उपयोग प्रस्तावों के फलस्वरूप आधार वर्ष के भू-उपयोग में कमी/अधिकता तथा क्षितिज वर्ष 2023 में कुल आवश्यक क्षेत्रफल एकड़ में आकलित किया गया है। इस प्रकार क्षितिज वर्ष 2023 तक के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु कुल 2467 एकड़ भूमि विकास योग्य क्षेत्र के अधीन प्रस्तावित की गयी है। उक्त विकास योग्य क्षेत्र में 52.43 प्रतिशत आवासीय, 1.00 प्रतिशत राजकीय

(सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय) 11.75 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, 7.09 प्रतिशत वाणिज्यिक, 7.9 प्रतिशत औद्योगिक, 5.23 प्रतिशत आमोद-प्रमोद तथा 14.60 प्रतिशत परिसंचरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भू-उपयोग विवरण तालिका-11 में दर्शाया गया है :-

रक्यदक & 11 i Lrkfor Hk&mi ; ks] i hyhc&k& 2023

Ø- l a	Hk&mi ; ks	{ks=Qy ¼, dM+e½	fodfl r {ks= dk i fr'kr	uxjh; dj.k ; k& ; {ks= dk i fr'kr
1.	आवासीय	1298	52.43	51.42
2.	वाणिज्यिक	175	7.09	6.96
3.	औद्योगिक	195	7.90	7.76
4.	राजकीय	20	1.00	1.00
5.	आमोद-प्रमोद	129	5.23	5.13
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	292	11.75	11.54
7.	परिसंचरण	358	14.60	14.32
कुल विकास योग्य क्षेत्र		2467	100.00	98.13
8.	कृषि (फलोद्यान, पौधशाला आदि)	25.50	—	1.01
9.	वन भूमि	12.50		0.50
10.	नहर/जलाशय आदि	9	—	0.36
dy uxjh; dj.k ; k& ; {ks=		2514	&	100-00

स्त्रोत : सर्वेक्षण एवं अनुमान

5-1 vkokl h; %

आवासीय क्षेत्रों की योजना इस ढंग से तैयार की गयी है कि इनसे स्वस्थ सामुदायिक पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले तथा कार्य केन्द्रों और आमोद-प्रमोद के स्थलों तक जाने के लिए समय और दूरी में कमी हो। निकटवर्ती प्रतिरूप के अनुसार युक्तिसंगत आवासीय विकास नागरिकों को सुविधाजनक जीवन प्रदान कर सकेगा, जिनमें सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होंगे और लोगों को आवासीय बस्तियों के निकट दिन-प्रतिदिन की लोकोपयोगी सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस दृष्टि से लगभग 63000 लोगों

को बसाने के लिए 1298 एकड़ आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

आवासीय क्षेत्रों में असंतुलन को समाप्त करने के उद्देश्य से आवासीय घनत्व के तीन वर्ग प्रस्तावित किए गए हैं यथा 50–80 व्यक्ति प्रति एकड़, 81–120 व्यक्ति प्रति एकड़ और 120 से अधिक व्यक्ति प्रति एकड़। भू-उपयोग मानचित्र में आवासीय क्षेत्रों की स्थिति को कार्य केन्द्रों के निकट ही प्रस्तावित किया गया है। शहर के अन्दरूनी भागों में 120 व्यक्ति प्रति एकड़ से अधिक का उच्चतम घनत्व बना रहेगा। 50–80 व्यक्ति प्रति एकड़ या न्यूनतम घनत्व बाहरी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित किया गया है। जिनके विकास का कार्य इस योजना के आगामी चरणों में किया जाएगा। यह नीति अपनायी गयी है कि नये आवासीय क्षेत्रों का 50 व्यक्ति प्रति एकड़ के औसत घनत्व के आधार पर विकास किया जावे।

नगर के सुनियोजित विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु स्थानीय निकायों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध करायी जाकर मास्टर प्लान लागू करने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई जा सकती है।

5-1-1 vkokl u %

आवास समुदाय की एक मूल आवश्यकता है और इसके अन्तर्गत सर्वाधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि नगर पालिका आवास परियोजना तैयार करे और समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराये। वर्तमान में चल रही योजनाओं के अतिरिक्त स्थानीय निकाय को भूखण्ड विकास के कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि व्यवस्थित क्रम में लोगों की आवासीय मांग को पूरा किया जा सके। आवासीय क्षेत्रों में संचालित उद्योगों को भविष्य में उक्त क्षेत्रों से हटाकर या तो शहर के बाहरी क्षेत्रों में या रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रस्तावित किया जावेगा।

5-1-2 blU`jey l DVj ds fyk, vkokl %

नगर के पुनर्स्थापना एवं पुनर्विकास के द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में नवीनीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जावेगा। पुनःस्थापना कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए चलाया जायेगा जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और महत्वपूर्ण स्मारकों या मानव के लिए खतरा बन सकते हैं। पुनर्विकास का कार्य उन क्षेत्रों के लिए किया जायेगा जहाँ झुग्गी-झोपड़ियाँ स्थापित हो चुकी हैं और जिन्हे हटाया जाना संभव नहीं है। कच्ची बस्ती क्षेत्रों में सुधार और उनके

पुनर्विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसी योजना बनाते समय यह प्रयास किया जाये कि विस्थापन कम से कम हों। ऐसी योजना में पर्यावरण सुधार एवं मूलभूत नागरिक सुविधाएं जैसे रोशनी, जलापूर्ति, सार्वजनिक शौचालय, सड़कें आदि की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

5-1-3 vQkMky gkmfl x {ks= %&

राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में टारुनशिप पॉलिसी 2010 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत प्रोजेक्ट के तहत अफोर्डेबल हाऊसिंग के अन्तर्गत मास्टर प्लान में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराये जाएंगे।

5-2 okf.kfT; d %

पीलीबंगा वाणिज्यिक, व्यापार एवं वितरण का एक प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि सन् 2023 तक शहर के विभिन्न वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में कुल कार्यशील व्यक्तियों का 32 प्रतिशत (6144 व्यक्ति) व्यवसाय एवं वाणिज्यिक क्रियाकलापों में कार्यरत रहेंगे। मास्टर प्लान में कुल 175 एकड़ क्षेत्रफल इन क्रियाकलापों हेतु प्रस्तावित किया गया है। पीलीबंगा में भौतिक विकास के साथ-साथ वाणिज्यिक गतिविधियों का भी विकास हुआ है। पिछले दो दशको में शहर के प्रमुख मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण यातायात व पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। कस्बे में वाणिज्यिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से आंतरिक भाग में रेलवे स्टेशन से मुख्य सड़क के दोनों ओर एवं सदर बजार में केन्द्रित हैं। वाणिज्यिक गतिविधियों को अधिक तार्किक व सुसंगत बनाने तथा दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु अनावश्यक आवागमन से बचने के लिए मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियों की पदानुक्रम व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ताकि क्षेत्र में वाणिज्यिक सुविधाएं सहज ही उपलब्ध हो सके।

सभी प्रमुख, उक्त प्रमुख एवं अन्य मुख्य सड़कें जिनका मास्टर प्लान में मार्गाधिकार 60 फीट या उससे अधिक हो, उनसे लगती हुई भूमि पर वाणिज्यिक, खुदरा व्यापार तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक क्रियाकलाप अनुज्ञेय होंगे। इस हेतु भू-उपयोग परिवर्तन सक्षम अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। ये विकास एकल सम्पत्ति की गहराई अथवा 100 फीट की गहराई जो भी कम हो, में ही किए जा सकेंगे। जहाँ जिस सड़क की वास्तविक चौड़ाई अथवा मार्गाधिकार, मास्टर प्लान में दर्शाए गए प्रस्तावित मार्गाधिकार से कम है, वहाँ एकल सम्पत्ति की गहराई उतनी ही बढ़ जाएगी, जितनी की उस सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई के उस तरफ एवं उस भाग में मध्य रेखा से कम पड़ रही हो। एकल सम्पत्ति की यह बढी हुई गहराई जो कि सड़क के मार्गाधिकार कम होने के कारण मिली है, यह अनिवार्य रूप से सैट बैक के साथ खुली छोड़ी जाएगी, जब तक कि स्थानीय निकाय सड़क के विकास अथवा अन्य सेवाओं के विस्तार हेतु इस भूमि का अधिग्रहण नहीं कर लेती है। तालिका संख्या 12 में विभिन्न स्तर के वाणिज्यिक क्षेत्रों को दर्शाया गया है:-

rkfydk & 12

okf.kfT; d {ks=ka dk fooj .k} i hyhcaxk % 2023

Ø-l a	xfrfof/k; ka dk i xdkj	{ks=Qy ¼, dM+ e½
1.	खुदरा व्यापार	28
2.	वाणिज्यिक केन्द्र	28
3.	थोक व्यापार एवं विशेष बाजार	76
4.	भण्डारण एवं गोदाम	43
; ksx		175

स्त्रोत – नगर नियोजन विभाग का आकलन

5-2 ¼½ [kqjk 0; ki kj %

शहर का मुख्य बाजार क्षेत्र केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र माना जाता है। वर्तमान में केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र कस्बे का आंतरिक भाग एवं उसके आसपास का क्षेत्र है, जिसमें स्टेशन से ढाबां गाँव को जाने वाली एवं गोलूवाला को जाने वाली सड़क पर अधिक मात्रा में व्यावसायिक गतिविधियाँ केन्द्रित हैं। भविष्य में व्यापारिक गतिविधियाँ एवं इसके विस्तार के लिए भीतरी भागों में अधिक संभावना नहीं है। कुछ थोक व्यापार एवं भण्डारण वाले क्षेत्रों को बाहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर यातायात, पार्किंग एवं सामान ले जाने की समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। यहाँ उपलब्ध खाली स्थलों का चयन कर पार्किंग स्थल बनाने का प्रस्ताव है। मास्टर प्लान में उक्त उपयोग हेतु विभिन्न स्थानों पर कुल 28 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

5-2 1/2 okf.kfT; d dlnz %

पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में आम यातायात सम्बन्धी अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। पुराने व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र शहर के केन्द्र में घने बसे भागों में स्थित हैं, जहाँ पर न तो पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है एवं ना ही सामान को लादने एवं उतारने की सुविधा है। अतः यातायात के भार को कम करने के लिए तथा व्यापार का उचित स्थानों पर वितरित किए जाने के लिए पीलीबंगा मास्टर प्लान में कुल 4 वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किए गए हैं तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि शहर के चारों तरफ व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध हो सके। वाणिज्यिक केन्द्र में खुदरा वाणिज्यिक दुकानें, चलचित्र, होटल, पेट्रोल पम्प एवं सामुदायिक भवन आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस हेतु विभिन्न स्थानों पर कुल 28 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

खुदरा व्यापार एवं वाणिज्यिक केन्द्रों के अतिरिक्त मास्टर प्लान में बहुत सी स्थानीय और सुविधाजनक दुकानों का भी प्रावधान रखा गया है। इनकी स्थिति विस्तृत योजनाएं बनाते समय प्रस्तावित की जायेगी। ऐसे केन्द्रों में खुदरा दुकानें व सर्विस दुकानें आदि

होंगे। ये केन्द्र योजना क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र से 15 से 20 मिनट के समय की दूरी पर स्थित होंगे। योजना क्षेत्रों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए स्थानीय दुकानें भी प्रस्तावित की गयी हैं।

rkfydk 13

i Lrkfor okf.kfT; d dlnj i hycæk 2023

Øekrd	i fj {ks=	{ks=Qy ¼, dM+ e½
1	पश्चिमी योजना क्षेत्र में पीलीबंगा-सूरतगढ रोड पर	12.00
2	पूर्वी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित बाईपास पर	6.50
3	पूर्वी योजना क्षेत्र में पीलीबंगा-हनुमानगढ रोड पर प्रस्तावित बस स्टेण्ड के समीप	5.50
4	दक्षिणी योजना क्षेत्र में रावतसर रोड पर	4.00
	; ksx	28-00

5-2 ¼ ½ Fkkcd 0; ki kj , oa fo'k'sk cktkj %

पीलीबंगा में थोक व्यापार केन्द्र अभी तक कस्बे के मध्य भाग में स्थित है तथा घने क्षेत्रों में आ गया है। मास्टर प्लान में वर्तमान थोक व्यापार क्षेत्र को यथावत् रखते हुए इंदिरा गाँधी मेमोरियल कॉलेज व गौशाला के मध्य लगभग 76 एकड़ भूमि उक्त उपयोग हेतु आवंटित किया गया है। इस स्थल में भविष्य में योजना तैयार करते समय सब्जी, लकड़ी तथा आयरन मार्केट हेतु स्थल निर्धारित किए जाएंगे। उक्त क्षेत्र को यातायात नगर के पास शहर के बाहर ही प्रस्तावित किया गया है ताकि यातायात पर किसी भी प्रकार का असर न पड़े।

5-2 ¼n½ Hk. Mkj .k , oa xknke %

औद्योगिक गतिविधियों एवं कृषि उत्पादन के बढ़ने से कस्बे में अतिरिक्त भण्डारगृहों एवं गोदामों की जरूरत होगी। अतः मास्टर प्लान में वर्तमान में शहर के मध्य स्थित गोदामों को यथावत कायम करते हुये सूरतगढ-हनुमानगढ सड़क को मिलाने वाली अंदर की रिंग रोड पर थोक व्यापार स्थल के समीप कुल 43 एकड़ क्षेत्रफल में गोदाम प्रस्तावित किया गया है तथा पास में स्थित भवन निर्माण बाजार, ट्रांसपोर्ट नगर एवं औद्योगिक उत्पादन के लिए गोदामों की समुचित व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है।

5-3 vks| kfxd %

इन्दिरा गांधी नहर के आने के बाद पीलीबंगा में औद्योगिक विकास काफी हुआ है तथा भविष्य में औद्योगिक विकास तीव्र गति से होगा। नहर का मीठा पानी उद्योगों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पीलीबंगा में वर्ष 2003 में औद्योगिक रोजगारों में 1411 व्यक्तियों की तुलना में 2023 में 3456 व्यक्ति हो जाएंगे। अतः स्पष्ट है कि पीलीबंगा में औद्योगिक गतिविधियों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या काफी बढ़ेगी। पीलीबंगा में लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों का विस्तार होगा। विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति के साथ-साथ प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण तालिका-14 में दर्शाया गया है।

rkfydk & 14

vks| kfxd xfrfof/k; ka dk fooj .k] i hyhcæxk & 2023

Ø-l a	m kska ds i xkj	vks kfxd jkst xkj ds ykx	m kska ea yxs ykska dk i fr' kr	{ks=Qy ¼, dM+ e½
-------	-------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------------

1.	घरेलू उद्योग	1176	34	—
2.	लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग	2280	66	195
	dy	3456	100-00	195

शहर की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त एक क्षेत्र भविष्य के औद्योगिक विकास हेतु प्रस्तावित किया गया है। चूने व ईट भट्टों को शहर के भीतर स्थित वर्तमान स्थलों से बाहर स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू एवं सर्विस उद्योगों को आवासीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में ही रहने दिया जावेगा। एक अकेला उद्योग किसी भी तरह योजनाबद्ध औद्योगिक विकास का लाभ नहीं ले सकता है। अतः संतुलित औद्योगिक विकास के लिए सभी उद्योगों को एक ही केन्द्र पर स्थापित कर उनको योजनाबद्ध ढंग से विकसित किया जाना जरूरी होता है। अतः इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर विद्यमान 67 एकड़ पुराने औद्योगिक क्षेत्र के अलावा हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर सड़क एवं बाह्य मार्ग के मध्य पूर्वी योजना क्षेत्र में लगभग 128 एकड़ क्षेत्र औद्योगिक विकास हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार मास्टर प्लान में औद्योगिक प्रयोजनार्थ कुल 195 एकड़ क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है।

5-4 jktdh; ¼ jdkjh , oa v) &l jdkjh dk; kly; ½ %

वर्तमान में सरकारी कार्यालयों हेतु पीलीबंगा में कोई व्यवस्थित परिसर स्थापित नहीं है। विभिन्न सरकारी कार्यालय अलग-अलग स्थलों पर स्थापित हो गये हैं, जिसमें उपखण्ड कार्यालय, नगरपालिका, कृषि उपज मण्डी समिति, वन विभाग आदि प्रमुख हैं। राजकीय क्षेत्र में लगभग 497 व्यक्ति कार्यरत हैं। विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों को स्थापित करने हेतु दक्षिणी योजना क्षेत्र में रावतसर सड़क पर स्थल प्रस्तावित किया गया है। सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिए 20 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है। सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग का विवरण तालिका सख्या 15 में दर्शाया गया है।

rkfydk&15

jktdh; i z kst ukFkZ Hk&mi ; ksx fooj .k] i hyhcæ&2023

Øekad	fooj .k	fLFkfr	{ks=Qy ¼, dM+ e½
1	विद्यमान	विभिन्न स्थलों पर	11
2	प्रस्तावित	दक्षिणी योजना क्षेत्र में	09
		; ksx	20

5-5 vkekn&i ækn

5-5-1 m | ku , oa [kqys LFky %

उद्यान एवं खुले स्थल सामान्यतः शहर के फेफड़े होते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा काफी सीमा तक नगर वासियों के सामाजिक एवं मौलिक स्वास्थ्य का लाभ होता है। कस्बे की जनसंख्या वृद्धि के कारण पुराने पार्क एवं खुले स्थल नगरीयकरण का भारी दबाव झेल रहे हैं तथा विद्यमान भू-उपयोग में 10 एकड़ क्षेत्रफल आमोद-प्रमोद हेतु दर्शाया गया है। इसकी पूर्ति के लिए पश्चिमी योजना क्षेत्र में लगभग 63 एकड़, पूर्वी योजना क्षेत्र में 14 एकड़ एवं दक्षिण योजना क्षेत्र में लगभग 22 एकड़ भूमि का मास्टर प्लान में उद्यान एवं खुले स्थलों का यथोचित स्थलों पर प्रावधान रखा गया है।

5-5-2 LVfM; e %

पीलीबंगा में वर्तमान में कोई भी स्टेडियम व खेल मैदान नगरीय स्तर का नहीं हैं, जहां पर सामाजिक गतिविधियां हो सकें। भारतीय खाद्य निगम के समीप 6.5 एकड़ में अविकसित विद्यमान स्टेडियम को भू-उपयोग योजना में यथावत् रखते हुए मास्टर प्लान में शहर के उत्तर में प्रस्तावित बाईपास सड़क पर एक नया स्टेडियम लगभग 20 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तावित किया गया है जिससे छात्र-छात्राओं के खेलकूद आदि के लिए भी सुविधाजनक हो ताकि शहर का विकास समान रूप से हो सकें।

5-6 I kołtfud , oa v) & I kołtfud %

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधा, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल, जनोपयोगी सुविधाएं, जलापूर्ति, जल-मल निकास, ठोस कचरा प्रबंधन, विद्युत आपूर्ति तथा श्मशान व कब्रिस्तान आदि सुविधाएं सम्मिलित हैं। नगर का एकीकृत विकास करने तथा नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शैक्षणिक, मनोरंजन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों और सार्वजनिक सेवाओं जैसी सामुदायिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना आवश्यक है। पीलीबंगा की जनसंख्या में वृद्धि होने, परंतु सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं का विकास व विस्तार नहीं होने से वर्तमान में सुविधाएं अपर्याप्त हैं। अतः आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य में विकास की संभावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान में लगभग 292 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है।

rkfydk&16

I kołtfud , oa v) & I kołtfud I (fo/kk vka grq Hk&mi ; ks dk foój .k]

i hyhcæk &2023

Ø- I a	I kołtfud , oa v) & I kołtfud I (fo/kk, a	dy {ks=Qy ¼, dM+ e½
1.	शैक्षणिक	85
2.	चिकित्सा	42
3.	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	80

4.	धार्मिक / ऐतिहासिक / सामाजिक / सांस्कृतिक	18.5
5.	जनोपयोगी सुविधाएं	38.5
6.	श्मशान एवं कब्रिस्तान	28
	; kx	292

स्रोत— नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आकलन

5-6-1 'kxkf.kd %

पीलीबंगा उपखण्ड व तहसील मुख्यालय होने के कारण एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केन्द्र है। बड़ा कस्बा होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी यहां पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यहां पर सरकार की नीतियों एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सन 2023 तक भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस नीति के आधार पर शहर की अनुमानित जनसंख्या 63000 के लिए विभिन्न स्तर के विद्यालयों का प्रावधान रखा गया है।

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के छोटे एवं दोहरी पारी वाले विद्यालयों की सुविधाएं आवासीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध करायी जायेंगी। अतः इनकी स्थिति एवं विद्यालयों का स्थान मास्टर प्लान भू-उपयोग में नहीं दर्शाया गया है। जब आवासीय क्षेत्रों के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की जाएंगी तब समस्त शैक्षणिक स्तर की सुविधाओं का चयन किया जायेगा।

वर्तमान में अधिकांश शैक्षणिक संस्थाएं शहर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं। महाविद्यालय सूरतगढ-हनुमानगढ सड़क पर शहर के पश्चिम में स्थित है। नगर के समस्त क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए मास्टर प्लान में शहर के उत्तर में ढाबां सड़क पर एक महाविद्यालय प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार से उच्च माध्यमिक विद्यालय का पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में प्रावधान किया गया है। पुरानी आबादी क्षेत्र में कार्यरत विद्यालयों को क्रमोन्नत किए जाने का भी प्रस्ताव है।

भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये मास्टर प्लान-2023 में नगरीय योग्य क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर लगभग 85 एकड़ भूमि शैक्षणिक संस्थान हेतु प्रस्तावित की गयी है। मास्टर प्लान में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भूमि में सभी स्तर के विद्यालय, महाविद्यालय इत्यादि सभी प्रकार के शैक्षणिक उपयोग अनुज्ञेय होंगे।

5-6-2 फर्माइल कर्माइल कर्माइल कर्माइल ; कर्माइल कर्माइल कर्माइल कर्माइल 2023

फर्माइल कर्माइल	कर्माइल कर्माइल	कर्माइल कर्माइल	कर्माइल कर्माइल कर्माइल कर्माइल
1	2	3	4
विद्यमान	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक / महाविद्यालय	विभिन्न क्षेत्रों में	42
प्रस्तावित	सभी स्तर के विद्यालय / महाविद्यालय	विभिन्न क्षेत्रों में	43
	कुल योग		85

स्रोत - नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आकलन

5-6-2 फर्माइल कर्माइल कर्माइल कर्माइल ; कर्माइल कर्माइल कर्माइल कर्माइल 2023

पीलीबंगा में एक राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है। यहाँ पर लगभग 30 शैयाओं की सुविधा है। यह सुविधा शहर की भावी जनसंख्या के लिए अपर्याप्त होगी। इस सामुदायिक चिकित्सालय के पास विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः मास्टर प्लान में पश्चिमी योजना क्षेत्र में 15.00 एकड़ का मुख्य चिकित्सालय प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वी योजना क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के समीप लगभग 9.50 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित बाईपास पर लगभग 9.50 एकड़ भूमि पशु चिकित्सालय के लिए भी प्रस्तावित की गयी है। दक्षिण योजना क्षेत्र में भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 6 एकड़ भूमि का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा सुविधाओं के भू-उपयोग का विवरण तालिका संख्या 18 में दर्शाया गया है।

कर्माइल कर्माइल 18

फर्माइल कर्माइल कर्माइल कर्माइल कर्माइल ; कर्माइल कर्माइल कर्माइल कर्माइल 2023

क्र.सं.	विवरण	संख्या	क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5
विद्यमान	अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय एवं डिस्पेन्सरी आदि	2	विभिन्न क्षेत्रों में	2
प्रस्तावित	अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र एवं पशु चिकित्सालय	4	विभिन्न क्षेत्रों में	40
	कुल योग	6		42

स्रोत -नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आकलन

5-6-3 सुविधाओं का आवंटन, %

मास्टर प्लान में विभिन्न सामुदायिक सुविधाएं जैसे डाकघर, पुलिस थाना, अग्नि शमन केन्द्र, युवा केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय एवं रंगमंच आदि की आवश्यकतानुसार प्रावधान रखा गया है। ऐसी सुविधाओं के कई स्थल मास्टर प्लान में विभिन्न स्थलों पर प्रस्तावित किए गए हैं। अन्य सामुदायिक सुविधाओं के प्रयोजनार्थ लगभग 80 एकड़ भूमि प्रस्तावित किया गया है। ऐसी सुविधाएं जिससे एक बड़ा समुदाय लाभान्वित होता है, जैसे बारातघर, धार्मिक भवन आदि का प्रावधान भी अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए निर्धारित भूमि में किया जा सकता है।

5-6-4 सुविधाओं का आवंटन, %

जनोपयोगी सुविधाओं में पेयजल वितरण, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, मल जल निकास इत्यादि सम्मिलित है। नगर में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन सेवाओं पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि इन समस्याओं को हल करने की दिशा में आवश्यक प्रयास किये जावें। इस हेतु विभिन्न स्थलों पर लगभग

38.5 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5-6-4 पीलीबंगा में जल-मल निस्तारण की आवश्यकता

पीलीबंगा में भाखड़ा नहर की पी बी एन डिस्ट्रीब्यूटरी से जलापूर्ति की जाती है। वर्तमान में प्रतिदिन शहर में 1800 किलोलीटर पानी वितरित किया जाता है, लेकिन बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी। अतः भविष्य में जलापूर्ति के लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा योजना तैयार करवायी जावेगी।

5-6-4 पीलीबंगा में जल-मल निस्तारण की समुचित व्यवस्था का अभाव

पीलीबंगा में जल-मल निस्तारण की समुचित व्यवस्था का अभाव है। यहां पर अभी तक वर्षा के पानी की निकासी का भी उचित प्रावधान नहीं किया गया है। इस कारण वर्षा का पानी सड़कों पर फैला रहता है। शहर में अभी तक सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। अधिकांश मकानों में सैप्टिक टैंक की व्यवस्था है तथा शेष जनता प्राचीन पद्धति का ही उपयोग करती है। इस कारण आस-पास का वातावरण दूषित होने के साथ-साथ भूमिगत जल के प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है।

स्वच्छ शहर के लिए सीवरेज प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य को गंदगी के कुप्रभावों से बचाया जा सके। पीलीबंगा कस्बे में अभी तक किसी भी प्रकार का कचरा प्रबंधन नहीं है। शहर का कचरा अभी तक इधर-उधर गड्ढों में डाला जाता है जिसकी वजह से गन्दगी के ढेर लग जाते हैं तथा बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। अतः कचरा प्रबंधन केन्द्र स्थापित किया जाना जरूरी है। अतः राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में नगर पालिका द्वारा ठोस कचरा निस्तारण हेतु उपयुक्त स्थल चयनित कर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

5-6-4 पीलीबंगा में जल-मल निस्तारण की आवश्यकता

शहर में सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट व भाखरा नांगल विद्युत परियोजना द्वारा 4 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है और प्रतिदिन 0.55 लाख यूनिट बिजली की खपत होती है। अतः मांग एवं आपूर्ति में काफी अन्तर है। शहर में होने वाले विकास एवं विभिन्न सेक्टरों में बढ़ते आर्थिक क्रियाकलापों हेतु और अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। अतः सुझाव है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उचित विद्युत आपूर्ति हेतु एक प्लान तैयार करे ताकि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सके तथा यह भी सुझाव है कि दोनों स्त्रोतों का अच्छा सामंजस्य हो ताकि विद्युत आपूर्ति सुचारू रहे।

5-6-5 'e'kku , oa dfcLrku %

वर्तमान में शहर में स्थित श्मशान घाटों और कब्रिस्तान को यथावत रखा गया है परन्तु जो श्मशान और कब्रिस्तान शहर के विकसित क्षेत्रों में स्थित हैं उनमें चार दिवारी के साथ-साथ सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है ताकि वातावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। नये श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों को मांग के अनुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

5-7 ifjl pj.k %

पीलीबंगा की परिसंचरण व्यवस्था यहां के भावी भू-उपयोग प्रस्तावों का अभिन्न अंग है। परिसंचरण हेतु विभिन्न प्रमुख मार्गों की चौड़ाई, पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात प्रणाली को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है, कि जनता के आवागमन के लिए उत्कृष्ट यातायात व्यवस्था संचालित की जा सके। नगर के विभिन्न सड़कों के मार्गाधिकार वहां पर आवागमन होने वाले यातायात के अनुरूप निर्धारित किये गये हैं।

5-7-1 iLrkfor ; krk; kr l jpkuk %

प्रमुख सड़कें/बाईपास (बाह्य मार्ग) (160 फीट), प्रमुख सड़कें (120 फीट), मुख्य सड़कें (80 फीट) एवं 80 फीट से कम चौड़ाई की अन्य सड़कें प्रस्तावित की गयी है। प्रमुख सड़कें सभी महत्वपूर्ण स्थलों से संपर्क प्रदान करेंगी एवं अधिकतम वाहन (यातायात) इन्हीं सड़कों से

होकर गुजरेगा। अन्य सड़कें विभिन्न आवासीय क्षेत्रों तथा कार्य स्थलों को पहुंच प्रदान करेंगी। ये सभी सड़कें मुख्य यातायात प्रणाली का भाग हैं। पीलीबंगा से गुजरने वाली सूरतगढ-हनुमानगढ सड़क का मार्गाधिकार 160 फीट, सूरतगढ-हनुमानगढ रोड को मिलाने वाले बाईपास/बाह्य मार्ग का मार्गाधिकार 160 फीट, अंदर की रिंग रोड का मार्गाधिकार 120 फीट तथा रावतसर को जाने वाली एवं गोलूवाला व श्रीगंगानगर को जाने वाली सड़कों का मार्गाधिकार 80 फीट रखा गया है। शहर के आन्तरिक भागों की अन्य सड़कों का मार्गाधिकार 80 फीट से कम रखा गया है। पीलीबंगा में प्रस्तावित सड़कों के मार्गाधिकार एवं सड़कों के प्रस्तावित मार्गाधिकार को क्रमशः तालिका संख्या सड़कों के मानदण्डों के अनुसार मार्गाधिकार निम्न तालिका संख्या 19 व 20 में दर्शाया गया है :-

rkfydk&19

i Lrkfor I Mdk dk ekxkf/kdkj] i hycæ % 2023

Øekd	I Mdk dk i dkj	ekxkf/kdkj %QhV e½
1.	प्रमुख सड़कें/बाह्य मार्ग	160
2.	उप-प्रमुख सड़कें	120
3.	मुख्य सड़कें	80
4.	अन्य सड़कें	80 फीट से कम

rkfydk& 20

I Mdk dk i Lrkfor ekxkf/kdkj] i hycæ 2023

Øekd	I Mdk dh Js kh	i Lrkfor U; wure ekxkf/kdkj %QhV e½
1	सूरतगढ-हनुमानगढ सड़क	160
2	सूरतगढ-हनुमानगढ को मिलाने वाला बाईपास/बाह्य मार्ग	160
3	शहर के अंदर की रिंग रोड	120

4	रावतसर, श्रीगंगानगर, गोलूवाला आदि को जाने वाली अन्य सड़कें	80
5	आंतरिक मुख्य सड़कें	60

5-7-1 ¼½ I M-eka dks pkSMk djuk , oa mudk I qkkj %

निर्धारित नीति के अनुसार वर्तमान में स्थित सड़कें जिन्हें मुख्य सड़कों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, का मार्गाधिकार जहां तक सम्भव हो मापदण्डों के अनुसार होगा। उन स्थानों पर जहां सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं हो अथवा जहां अत्यधिक संख्या में पक्के मकानों को तोड़ना पड़ रहा हो, वहां सुविधानुसार तालमेल बिठाकर निम्न स्तर के मापदण्ड अपनाए जा सकते हैं। नगर के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु आगे बने चबूतरों और अनाधिकृत निर्माणों को हटाकर कुछ हद तक इन्हें चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है।

5-7-1 ¼½ pkSj kgka dk I qkkj %

विकसित क्षेत्र में यातायात को स्वतंत्र रूप से चलाने में जो बाधाएं आती हैं, उनमें अपर्याप्त तथा गलत चौराहों के कारण भीड़-भाड़ तथा विलम्ब होना प्रमुख है। अतः चौराहों के सुधार का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यातायात संबंधी अध्ययनों तथा आवागमन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए समस्त महत्वपूर्ण चौराहों की जांच कर उन्हें सावधानी से पुनः डिजाईन करने का प्रस्ताव है।

5-7-1 ¼ ½ Q-ykbZ vkøj %

पीलीबंगा से पूर्व में हनुमानगढ़ की ओर जाने वाली सड़क, उत्तर में श्रीगंगानगर सड़क तथा दक्षिण में रावतसर सड़क को मिलाने वाली प्रस्तावित सड़क के मिलन स्थल पर एवं इसके अतिरिक्त पीलीबंगा से पश्चिम की ओर सूरतगढ़ को जाने वाली सड़क व दक्षिण की ओर प्रस्तावित बाईपास के मिलन स्थल पर नगर की प्रमुख सड़कों पर

यातायात को सुगम रखने हेतु रेलवे लाईन के ऊपर दो फ्लाई ओवर प्रस्तावित किये गये हैं।

5-7-1 पीलीबंगा में वाहनों के कारण यातायात संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। आवागमन के अतिरिक्त वाहनों में पार्किंग की समस्या भी बहुत गंभीर होती जा रही है। पुराने वाणिज्यिक केन्द्रों में यह समस्या सबसे अधिक है। अतः प्रस्तावित किया गया है कि इन पुराने वाणिज्यिक केन्द्रों में जो खुले स्थान उपलब्ध हैं, उनको पार्किंग के रूप में विकसित किया जावे। नये वाणिज्यिक केन्द्रों की विस्तृत योजनाएं तैयार करते समय इनमें पार्किंग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान किया जावे। भारी वाहनों के लिए यातायात नगर, योजना में उचित पार्किंग स्थल का प्रावधान रखा जाएगा।

5-7-2 वर्तमान में पीलीबंगा में लगभग 0.40 एकड़ क्षेत्रफल में आई डी एस एम टी योजना के अन्तर्गत निर्मित एक बस स्टेण्ड है जो शहर में हनुमानगढ-सूरतगढ रोड पर रेलवे स्टेशन के समीप है। इस बस स्टेण्ड में भूमि अपर्याप्त होने के साथ-साथ भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र होने के कारण यातायात की भी समस्या उत्पन्न हो गयी है। इस बस स्टेण्ड को यथावत् रखते हुए शहर के पूर्व में हनुमानगढ सड़क पर 18 एकड़ का नया बस स्टेण्ड प्रस्तावित किया गया है। यह बस स्टेण्ड शहर के मुख्य प्रस्तावित विकसित क्षेत्र के समीप एवं प्रस्तावित बाईपास सड़क पर है। वर्तमान में ट्रक मुख्य सड़कों के किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े रहते हैं जो यातायात में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। भारी वाहनों का शहर के अंदर कम से कम प्रवेश हो, इसलिए प्रस्तावित विकसित क्षेत्र के अंतिम छोर एवं प्रस्तावित थोक व्यापार, गोदाम क्षेत्र के पास प्रस्तावित बाईपास सड़क पर यातायात नगर प्रस्तावित किया गया है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 एकड़ है।

5-7-3 jsy , oa gokbz l ok %

पीलीबंगा कस्बा सूरतगढ-हनुमानगढ ब्रॉडगेज लाईन से जुड़ा होने के कारण राज्य के अन्य बड़े शहरों के लिए रेल सेवा उपलब्ध है। रेलवे लाईन शहर के दक्षिण में बाहरी क्षेत्र से गुजरती है। अतः इसमें अभी किसी प्रकार का बदलाव प्रस्तावित नहीं है। पीलीबंगा अभी छोटा शहर है। अतः अभी हवाई पट्टी का प्रस्ताव नहीं है।

5-8 ifjf/k fu; æ.k iV\h {ks= %

शहर के अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीय विकास को सघन बनाये रखना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास एवं नियंत्रण नियोजित रूप से हो, इसके लिये प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। ग्रामीण बस्तियों का विकास संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि सेवा केन्द्र, हाईवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौध शालाएँ, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मोटल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट, कृषि आधारित लघु उद्योग जैसे क्रेशर, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मिल, स्टोन पॉलिशिंग उद्योग, पेट्रोल पम्प आदि अनुज्ञेय होंगे।

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के मध्य स्थित परिधि नियंत्रण के रूप में रखा जायेगा। इस क्षेत्र का स्वरूप मुख्य रूप से ग्रामीण ही होगा। अतः इस नियन्त्रण पट्टी द्वारा शहर का अव्यवस्थित विकास नियन्त्रित किया जा सकेगा।

नगरीयकरण क्षेत्र के बाहर बाईपास के सहारे सभी विकासकर्ताओं द्वारा उपयुक्त मार्ग के मार्गाधिकार के पश्चात 100 फीट चौड़ी पट्टी गहन वृक्षारोपण हेतु छोड़नी होगी तथा इस पट्टी के बाद समस्त अनुज्ञेय विकास कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा भू-उपयोग

परिवर्तन के पश्चात ही किये जा सकेंगे ।

5-8-1 xkeh.k vkcknh {ks= %

परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्दर स्थित गांवों का विकास एवं विस्तार नियमित तरीके से ही किया जायेगा। इस संबंध में यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण और गंभीर चिन्तन का है यदि समुचित प्रतिबन्धों का प्रावधान नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि जनता ग्रामीण अंचलों में अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति लालायित हो, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विकृतियां उत्पन्न होगी वरन यह प्रवृत्ति नगरीय क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में असंगत फैलाव अर्थहीन बनकर रह जायेगा। अतः आबादी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए इन गांवों का नियोजित ढंग से विस्तार हेतु आवश्यकतानुसार योजनाएं बनायी जावेंगी।

5-9 i ; kbj.k l j {k.k} o{kkjksi .k , oa ty l j {k.k }&

पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। यह मानव जाति के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत कमजोर हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग अर्थात् धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन यथा वृक्षों की कटाई, अत्यधिक भू-जल दोहन, अनियंत्रित खनन आदि से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है और भीषण गर्मी, अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं।

वृक्ष, प्राण वायु के भण्डार है। अतएव पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से राजमार्ग व बाईपास के सहारे-सहारे वृक्षारोपण के लिए पट्टी रखे जाने का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त के अलावा प्रमुख सड़कों के सहारे-सहारे भी वृक्षारोपण की कार्यवाही की जावेगी। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों व न्यायालय परिसरों में,

औद्योगिक क्षेत्र, श्मशान भूमि, ओरण, गोचर, वन भूमि आदि क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित प्रयासों और प्रत्येक नागरिक को इसमें सहयोग एवं हिस्सेदारी या सह-भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

पानी के स्रोत सीमित हैं। बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण शहरों में पानी की समस्या निरंतर गहराती जा रही है। प्राचीन तालाबों, कुण्डों, कुओं आदि जल स्रोतों का संरक्षण वर्षा जल पुनर्भरण एवं पानी की रिसाईक्लिंग से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। सभी सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक भवनों, बड़े व्यावसायिक व आवासीय परिसरों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। गंदे पानी को वैज्ञानिक तरीकों से शुद्ध कर पुनः चक्रित कर बाग-बगीचों में उपयोग लिया जाना चाहिए। उपर्युक्त हेतु स्थानीय निकाय द्वारा विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। तालाबों के किनारे वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है तथा आसपास का उपलब्ध रिक्त क्षेत्र खुले स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है।

; kst uk dk dk; k\Jo; u

पीलीबंगा शहर की योजना तैयार करने मात्र से ही योजना प्रक्रिया सम्पूर्ण नहीं हो जाती है। यह तो वास्तव में शहर के रहने और कार्य करने के योग्य अच्छा स्तर बनाने के प्रयास का प्रारम्भिक चरण मात्र है। इस योजना को वास्तविकता में परिवर्तित करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि इस योजना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु पूर्ण सामर्थ्य एवं क्षमता के साथ प्रयास किये जायें। अधिकांश योजनाओं की असफलता का कारण यह नहीं था कि वे अव्यावहारिक थीं बल्कि मुख्य कारण यह रहा कि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण विश्वास के साथ इन्हें कार्यान्वित करने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये। योजना का कार्यान्वयन इन क्रियाओं का स्वरूप है, जो योजना को कार्यक्रम में स्थानान्तरित करता है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक अभिकरणों और निजी संस्थाओं के उन सभी कार्यों और क्रियाओं को अपने अन्दर समाहित कर लेती है, जिसकी आवश्यकता अनुमोदित योजना में उल्लेखित संभावित परिणामों को निश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिए होती है।

इस दृष्टि से नियामक और विकास दोनों प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती है। समुचित कानूनी प्रावधानों, प्रशासनिक संगठन, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग पर ही योजना का सफल कार्यान्वयन निर्भर करता है। अतः हम सबका यह दायित्व है कि रहने और कार्य करने के स्थल के रूप में पीलीबंगा को अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में परस्पर सहयोग की भावना से गंभीर प्रयास करें।

6-1 orĕku vk/kkj %

वर्तमान स्थानीय निकाय, नगर पालिका पीलीबंगा का गठन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। यह अधिनियम स्थानीय निकाय

को उतने समुचित अधिकार प्रदान नहीं करता है, जिससे सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यो को प्रभावपूर्ण तरीके से सम्पादित किया जा सके। नगर में अन्य कई सार्वजनिक संस्थाएं भी कार्यरत हैं जो अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में निर्धारित नियमों, विनियमों और मानकों के अनुसार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती हैं।

6-2 iLrkfor vk/kkj %

मास्टर प्लान प्रस्तावों को कार्यान्वित करने का दायित्व नगरपालिका पीलीबंगा का रहेगा । नगरपालिका मास्टर प्लान के प्रस्तावों को तथा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से अपने क्षेत्र में लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

मास्टर प्लान के लागू होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय निकाय को भेजी जावेगी । इस प्रकार स्थानीय निकाय उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगी कि पीलीबंगा के नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जावेंगे । इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जावेगी । अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां नगर पालिका पीलीबंगा में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगी । आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका पीलीबंगा से निर्धारित राशि दे कर क्रय कर सकेगी ।

नगर पालिका पीलीबंगा मास्टर प्लान के प्रस्तावों के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रभावशाली योजनाएँ तैयार करेगी। जलापूर्ति व मल-जल निकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा शहर यातायात प्रबन्ध व सड़क विकास योजना, नगर नियोजन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के परामर्श से तैयार करेंगे। नगर पालिका पीलीबंगा मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से परियोजनाएँ तैयार कर कार्यान्वयन की कार्यवाही करेगी।

खण्ड क्रिया पर आधारित विखंडित प्रगति समन्वित विकास की योजना में गम्भीर समस्याएं उत्पन्न करती हैं। अतः किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों ही स्तर पर समन्वय का विशेष महत्त्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त तकनीकी अधिकारी, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है ताकि यह विकास एवं समन्वय संगठन के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि स्थानीय निकाय को पर्याप्त मजबूती और समुचित अधिकार दिया जाये। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास कार्यों पर इसका नियंत्रण हो, इस दृष्टि से आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय करने होंगे।

6-3 तुल्य गणना, आ तुल्य गणना %

कस्बे का विकास अंततः लोगो की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहाँ की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि शहर की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

6-4 भूमि ; कस्बे वरु, आ भूमि वरु %

पीलीबंगा के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियाँ/अनुमोदन (Commitments) को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये भू-उपयोग योजना मानचित्र –2023 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गयी किसी स्वीकृति यथा 90 बी के आदेश, आवंटन, भूमि रूपान्तरण व नियमन, भू-उपयोग परिवर्तन, अनुमोदित योजना, भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजन नहीं हो पाया हो तो उन्हें समायोजित माना जावेगा ।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी । इन नदी नाले, जलाशय इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हों । क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जावेगी ।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा – शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्त की जाये, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके ।

6-5 मिलीगंज –

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर मात्र है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणत किया जाये । इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं । पीलीबंगा का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है, तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और

सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है । नगर में नयी सुविधाएं उपलब्ध कराने, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करने और पीलीबंगा को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है ।

परिशिष्ट-1

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण
अध्याय - 2
मास्टर प्लान

- 3- jkT; I jdkj dks ekLVj lyku r\$ kj djus ds vkn\$ k djus dh 'kfDr%
- (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करें, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा ।
 - (2) मास्टर प्लान तैयार करनेके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे जितने राज्य

सरकार उचित समझे ।

4- ekLVj lyku dh vUroLrq %

- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जाएंगे जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जाएगी जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है और
- (ख) उस ढाँचे के विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जायें, आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा ।

5- vuq j.k dh tkus okyh ifØ; k %

- (1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गए नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के संबंध में आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा ।

6 ekLVj lyku dk ljdkj dks iLrq fd; k tkuk %

- (1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।
- (2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी ।
- (3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए उसे अस्वीकार कर सकेगी ।

7- ekLVj lyku ds iorũ dh rkjh[k %

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहाँ मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तन में आ जायेगा ।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम - 1962 के उद्घरण

**THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST
(GENERAL) RULES, 1962**

[Notification No. F.4(32)LSG/A/59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette Part IV-C

extraordinary dated 08.06.1962 Page 118 J]

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely :-

RULES

1.Short title and commencement:

- (1) These rules may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules - 1962"
- (2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

1. **Definitions** - In these rules, unless the subject or context otherwise requires-

(i) "Act" mean the Rajasthan Urban Improvement Act., 1959 (Act No. 35 of 1959).

(ii) "Trust" means a trust as constituted under the Act.

(iii) "Section" means a Section of the Act

(iv) Word and expressions used but not defined shall have the meaning assigned to them in the Act.

3.Manner of publication of draft Master Plan and the contents thereof under Section 5(i).

- (i) The draft master plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act., 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form "A" in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied

that response to the Draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections/suggestions with respect to the draft of the Master Plan.

(ii) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating in the area included in the Master Plan.

(iii) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, Plan and documents namely :-

- (a) Town Map showing General Layout of the roads and Streets in the Town.
- (b) Base Map showing the Generalised existing land use pattern, such as residential, commercial, industrial, public and semi-public uses etc.
- (c) Draft Master Plan showing broadly the proposed land use Pattern. In the Urban area such as residential, commercial, industrial public and semi-public uses etc.
- (c) Written analysis and written statement to support the proposals.

1 substituted by clause 2 of Notification No. F.3(23)TP/36, Date 24.02.1970 vide C.S.R 96 pub. In

Raj. Gax. Extra-order, Part IV-C, dated 24.02.1970 at page 329-331

2 Amended & added vide Noti.No.F-7(19) TP/11/76 dated 21.09.1979 R.G.pt IV-C (i) dated

27.09.1979 page 339.

(c) Any other maps, plans or matter which the Officer or the Authority deem fit or as the State Government may direct

the Officer or the Authority in this regard

4.Approval of Master Plan by the State Government under section 6 (1)

(1) After considering the objections/suggestion and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under Section 3³ to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 (2) of the Act finalise the Master Plan and submit the same if constituted to the State Government for approval.

(2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a

copy thereof would be available in the office of the
Trust/Municipality concerned which may be inspected during
office hours on any working day.

3. Substituted vide No. F-9 N (10) UDH / 111 / 83 dated 27.10.83 Pub. in Raj. Gaz. 4
(ga) (i) dated 16.02.1984 page 829.

परिशिष्ट - 3

jktLFkku I jdkj
uxjh; fodkl foHkkx

क्रमांक :- एफ.10(15)नविवि/3/2003

जयपुर, दिनांक 02.05.2003

vf/kl ipuk

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर को पीलीबंगा कके नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम/चक सम्मिलित किए जाते हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लन क्षितिज वर्ष 2023 तक के लिए बनाने हेतु नियुक्त करती है :-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम/चक का नाम	S.N o.	Name of Revenue Village/Chak
1.	11 पी बी एन	1	11 P B N
2.	13 पी बी एन	2	13 P B N
3.	15 पी बी एन	3	15 P B N
4.	27 एस टी जी	4	27 S T G
5.	30 एस टी जी	5	30 S T G
6.	8 पी बी एन (भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	6	8 P B N (Part)Area up to Municipal Limits.
7.	9 पी बी एन (ए)(भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	7	9 P B N (A) Area up to Municipal Limits.
8.	9 पी बी एन(बी)(भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	8	9 P B N (B) Area up to Municipal Limits
9.	10 पी बी एन(भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	9	10 P B N (Part) Area up to Municipal Limits
10.	12 पी बी एन(भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	10	12 P B N (Part) Area up to Municipal Limits
11.	14 पी बी एन(भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	11	14 P B N (Part) Area up to Municipal Limits
12.	16 पी बी एन(भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	12	16 P B N (Part) Area up to Municipal Limits
13.	17 पी बी एन(भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	13	17 P B N (Part) Area up to Municipal Limits
14.	31 एस टी जी(भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	14	31 S T G (Part) Area up to Municipal Limits
15.	25 एस टी जी (भाग) मुरब्बा सं. 46/308.4 से नगर पालिका सीमा पर मुरब्बा सं.46 ई की पूर्वी सीमा के साथ-साथ कोने तक तथा इस कोने से मुरब्बा लाईन के साथ-साथ मुरब्बा सं. 45ई/315 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक का क्षेत्र	15	25 S T G (Part) Area from Murabba No.46/308.4 on Municipal boundary along the eastern boundary of Murabba No. 46E upto South-East corner of Murbba No.46E/315, then along this Murabba line upto South-west corner of Murabba No.45E/315.
16.	26 एस टी जी (भाग) मुरब्बा सं. 44ई/315 के दक्षिणी-पूर्वी कोने	16	26 STG (part) Area from South-

में मुरब्बा लाईन के साथ-साथ मुरब्बा सं.41ई/315 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक तथा इस कोने से उत्तर की तरफ मुरब्बा लाईन के साथ-साथ नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	east corner of Murabba No.44E/315 along the Murabba line upto South-west corner of Murabba No.41E/315, then from this corner to north word along Murabba line upto the Municipal boundary.
---	--

राज्यपाल की आज्ञा से

ह
(एस ए फारूकी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
- 2 शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक टीपीआर 1121/एमपी/पीलीबंगा/ 3149 दिनांक 31.3.2003 के क्रम में
- 4 जिला कलक्टर, हनुमानगढ़
- 5 अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़
- 6 रक्षित पत्रावली

ह
(दिलीप सिंह बारेठ)
उप नगर नियोजक

परिशिष्ट -

4

jktLFkku l jdkj
uxj fu; kstu foHkkx
dk; kly; eq[; uxj fu; kstd] jktLFkku] t; ig

क्रमांक :- टीपीआर 1116/एमपी/पीलीबंगा/
2006

दिनांक 28.04.

vf/kl ipuk

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवम् राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत पीलीबंगा के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान - 2031 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत

निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है :-

Ø-l a	jktLo xke@pd dk uke	Name of the revenue village/chak
1.	11 पी बी एन	11 P B N
2.	13 पी बी एन	13 P B N
3.	15 पी बी एन	15 P B N
4.	27 एस टी जी	27 S T G
5.	30 एस टी जी	30 S T G
6.	8 पी बी एन (भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	8 P B N up to Municipal boundary
7.	9 पी बी एन (ए)(भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	9 P B N (A) up to Municipal boundary
8.	9 पी बी एन(बी)(भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	9 P B N (B) up to Municipal boundary
9.	10 पी बी एन(भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	10 P B N up to Municipal boundary
10.	12 पी बी एन(भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	12 P B N up to Municipal boundary
11.	14 पी बी एन(भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	14 P B N up to Municipal boundary
12.	16 पी बी एन(भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	16 P B N up to Municipal boundary
13.	17 पी बी एन(भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	17 P B N up to Municipal boundary
14.	31 एस टी जी(भाग) नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	31 S T G up to Municipal boundary
15.	25 एस टी जी (भाग) मु. सं. 46/308.4 से नगर पालिका सीमा पर मुरब्बा सं.46 ई की पूर्वी सीमा के साथ-साथ कोने तक तथा इस कोने से मुरब्बा लाईन के साथ-साथ मुरब्बा सं. 45ई/315 के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक का क्षेत्र	25 S T G (part) M.N.46/308.4 to Eastern boundary of M.N.46 E on Municipal boundary & from this corner to S.W. corner of M.N.45E/315 along the M.line
16.	26 एस टी जी (भाग) मुरब्बा सं. 44ई/315 के दक्षिणी-पूर्वी कोने में मुरब्बा लाईन के साथ-साथ मुरब्बा सं.41ई/315 के दक्षिणी-पश्चिमी	26 S T G (part) south east corner of M.N.44E/315 to S.W. corner of M.N.41E/315 along M.line.

कोने तक तथा इस कोने से उत्तर की तरफ मुरब्बा लाईन के साथ-साथ नगर पालिका सीमा तक का क्षेत्र	
---	--

पीलीबंगा मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिवस की समया अवधि में कोई भी व्यक्ति मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर अथवा वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर को आपत्ति/सुझाव प्रेषित कर सकता है। उक्त मास्टर प्लान के प्रारूप को किसी भी दिन कार्यालय समय में उक्त समयावधि में पीलीबंगा नगर पालिका के कार्यालय में देखा जा सकता है एवं आपत्ति/सुझाव उक्त कार्यालय में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मास्टर प्लान प्रारूप से संबंधित पुस्तिका एवं मानचित्र नगर पालिका, पीलीबंगा से किसी भी कार्य दिवस में क्रय किये जा सकते हैं।

ह.
(बी आर पी भटनागर)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक

परिशिष्ट -

5

jktLFkku l jdkj
uxjh; fodkl foHkkx

क्रमांक:-प.10(15)नविवि/3/2003 जयपुर

दिनांक 4.8.2014

vf/kI ipuk

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.05.2003 के द्वारा यथा अधिसूचित "पीलीबंगा के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान 2023 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान 2023 की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, पीलीबंगा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह.

(रश्मि शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी डी भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
- 2 प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- 4 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) जयपुर।
- 5 जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ ।
- 6 वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
- 7 अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
- 8 रक्षित पत्रावली।

ह.

(प्रदीप कपूर)

वरिष्ठ नगर नियोजक